



सूचना विवरण पुस्तिका
सूचना का अधिकार अधिनियम-2005



उत्तराखण्ड सरकार

मैनुअल-4
(01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2024 तक)

निदेशालय
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा(तपोवन)देहरादून।

वेब साइट-www.schooleducation.uk.gov.in
ई.मेल-ua.elementary@yahoo.in

प्रमाणित किया गया है।

दिनांक

(आचार्य के नाम)

[Handwritten Signature]

4. प्रमाणित कर दिया गया है कि (आचार्य के नाम) प्रमाणित किया गया है।

3. प्रमाणित किया गया है कि प्रमाणित किया गया है।

2. प्रमाणित किया गया है कि प्रमाणित किया गया है।

1. प्रमाणित किया गया है कि प्रमाणित किया गया है।

प्रमाणित - प्रमाणित कर दिया गया है कि प्रमाणित किया गया है।

पृष्ठ/पान 04 / 2018-2-87 / अर्थ/2023-24 प्रमाणित किया गया है।

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तरखण्ड,
ननुरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
देहरादून, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़।

पत्रांक- नियोजन 04/19601-05 /अनुस्क्षण/2023-24 दिनांक 13 मार्च, 2024

विषय- राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अनुस्क्षण कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,


उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 396/XXIV(1)-A-2/23-14/2020 टी०सी० (E-52772) दिनांक 14 जुलाई, 2023 के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या-अर्थ-2/19517-23/5क(02)/13/2023-24 दिनांक 16 मार्च, 2024 के द्वारा अनुदान संख्या-11 के प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत 51-अनुस्क्षण मद में प्राथमिक विद्यालयों के सापेक्ष राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु आप द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणनों/प्रस्तावों के आधार पर निम्न विवरणानुसार संलग्न सूची में अंकित विद्यालयों के कार्यों हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित की गयी धनराशि का उपयोग निदेशालय के उक्त पत्र में उल्लेखित निर्देशों के साथ-साथ निम्न शर्तों का अक्षरतः अनुपालन करते हुये किया जायेगा।

क्र०सं०	जनपद का नाम	कुल कार्यों की संख्या	कुल आवंटित धनराशि
01	देहरादून	05	3588000.00
02	उत्तरकाशी	01	989000.00
03	अल्मोड़ा	09	7107000.00
04	बागेश्वर	01	970000.00
05	पिथौरागढ़	01	994000.00
कुल योग:-		17	13648000.00

(रूपये एक करोड़ छत्तीस लाख अड़तालीस हजार मात्र)।

- विद्यालयों के भवन मरम्मत/अनुस्क्षण कार्य हेतु आवंटित धनराशि से तत्काल विद्यालय का भवन मरम्मत/अनुस्क्षण कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जाय। यदि किसी विद्यालय में अन्य स्रोतों से भवन मरम्मत/अनुस्क्षण कार्य किया जा रहा हो/किया जा चुका हो तो ऐसी स्थिति में धनराशि का आवंटन न करते हुए धनराशि तत्काल निदेशालय को प्रत्यावर्तित की जाय।
- आवंटित धनराशि से विद्यालयों का अनुस्क्षण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त विद्यालयों की नाम पट्टिका सहित फोटोग्राफ एवं प्रगति आख्या तत्काल निदेशालय को उपलब्ध करायी जाय।


संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय

(आर०के० उनियाल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तरखण्ड।

पृ०सं०/नियोजन 04/19681-85 /अनुसूचण/2023-24 दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक, प्रा०शि० गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
3. मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून, उत्तरकाशी, अल्मोडा, बागेश्वर, पिथौरागढ़।
4. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी (द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०) उत्तराखण्ड।


(आर०के० अनियाल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तरखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, चम्पावत।

पत्रांक- नियोजन-04/19675-80/मु०मं०घोषणा/रूपान्तरण/2023-24 दिनांक 9 मार्च, 2024

विषय- मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 281/2022 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 281/2022 "जिले के 100 सरकारी विद्यालयों का रूपान्तरण किया जायेगा" के क्रियान्वयन हेतु पूर्व में निदेशालय के पत्र संख्या 18441 दिनांक 29 फरवरी, 2024 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप प्रस्तावित विद्यालयों के रूपान्तरण के अन्तर्गत "बाला कान्टोस्ट (Building as learning add) कक्षा-कक्षाओं के अनुरूप अकादमिक संसाधनों की व्यवस्था, भवन मरम्मत व रंगरोगन, सीखने का कोना (learning corner) विद्यालय में संचालित गतिविधियों का बोर्ड पर प्रदर्शन/अंकना तथा स्मार्ट बोर्ड आदि कार्य" प्रस्तावित किये जाने थे।

उक्त के क्रम में आपने अपने पत्र संख्या: 4990-91/जि०यो०/निर्माण/2023-24 दिनांक 11 मार्च, 2024 के साथ 51 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के आगणन/प्रस्ताव निदेशालय को उपलब्ध कराये गये थे जिसके क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या-अर्थ-2/19398-19404/5क(02)/13/2023-24 दिनांक 15 मार्च, 2024 के द्वारा अनुदान संख्या-11 के प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत 51-अनुरक्षण मद में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि में से कुल रु० 15808000.00 (रुपये एक करोड़ अठान्न लाख आठ हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान करते हुए संलग्न सूची में अंकित विद्यालयों का पत्र में उल्लिखित निर्देशों का अक्षरतः अनुपालन करते हुए रूपान्तरण कार्य करने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः उक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 281/2022 "जिले के 100 सरकारी विद्यालयों का रूपान्तरण किया जायेगा" के क्रियान्वयन हेतु निदेशालय के उक्त पत्र का अनुपालन करने के साथ-साथ निम्न निर्देशों का भी अनुपालन करते हुए विद्यालयों के रूपान्तरण कार्य किये जायेंगे।

- कार्य की गुणवत्ता के दृष्टिगत जनपद स्तर पर मुख्य शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित कर समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणनों के आधार पर समय-समय पर कार्य की गुणवत्ता का परीक्षण कर उसकी आख्या जनपद स्तर से निदेशालय को उपलब्ध करायी जाय।
- जनपद स्तर से जिन विद्यालयों में रूपान्तरण कार्य हेतु धनराशि आवंटित की गयी है उनकी कार्य प्रारम्भ से पूर्व की 05 रंगीन फोटोग्राफ व कार्य पूर्ण होने के उपरान्त के 05 रंगीन फोटोग्राफ, नाम पट्टिका सहित निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
- कार्य की गुणवत्ता के लिए सम्बन्धित जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा एवं उप शिक्षा अधिकारी (सम्बन्धित विकासखण्ड) उत्तरदायी होंगे जिसका गुणवत्तायुक्त कार्य का प्रमाण पत्र कार्य पूर्ण होने के उपरान्त निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

संलग्नक:- यथोपरि।


भवदीय

(आर०के० उनियाल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तरखण्ड।

पुं०सं० / नियोजन 04/19675-06 / मु०सं०घोषणा / रूपान्तरण / 2023-24 उक्तांकित।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सुधनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर निदेशक, प्रा०शि० कुमायू मण्डल नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत।
5. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी (द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०) उत्तराखण्ड।



(आइ०के० अनियाल)
निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत 51-अनुरक्षण मद में आवंटित धनराशि का विवरण वित्तीय वर्ष (2023-24)

क्र० सं०	अवस्थापना का नाम	विकासखण्ड का नाम	विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	छात्र सं०	धनराशि	अनुवृत्ति
1	अवस्थापना	बाराकोट	रा०प्रा०वि० मठ	रूपांतरण कार्य	56	230000.00	सं० मुख्यालयी योजना संख्या-281/2022
2	अवस्थापना	बाराकोट	रा०प्रा०वि० टक्लाबापल	रूपांतरण कार्य	47	283000.00	सं० मुख्यालयी योजना संख्या-281/2022
3	अवस्थापना	बाराकोट	रा०प्रा०वि० धन्वोली	रूपांतरण कार्य	40	410000.00	सं० मुख्यालयी योजना संख्या-281/2022
4	अवस्थापना	बाराकोट	रा०प्रा०वि० मौमागा	रूपांतरण कार्य	22	286000.00	सं० मुख्यालयी योजना संख्या-281/2022
5	अवस्थापना	बाराकोट	रा०प्रा०वि० पन्दा	रूपांतरण कार्य	20	310000.00	सं० मुख्यालयी योजना संख्या-281/2022
6	अवस्थापना	बाराकोट	रा०प्रा०वि० मुनोद	रूपांतरण कार्य	18	296000.00	सं० मुख्यालयी योजना संख्या-281/2022
7	अवस्थापना	बाराकोट	रा०प्रा०वि० जटीपूडा	रूपांतरण कार्य	12	304000.00	सं० मुख्यालयी योजना संख्या-281/2022
8	अवस्थापना	पाटी	रा०प्रा०वि० मंगलसेख	रूपांतरण कार्य	42	302000.00	सं० मुख्यालयी योजना संख्या-281/2022
9	अवस्थापना	पाटी	रा०प्रा०वि० चल्खिया	रूपांतरण कार्य	41	341000.00	सं० मुख्यालयी योजना संख्या-281/2022
10	अवस्थापना	पाटी	रा०प्रा०वि० बुगाबीडा	रूपांतरण कार्य	46	341000.00	सं० मुख्यालयी योजना संख्या-281/2022
11	अवस्थापना	पाटी	रा०प्रा०वि० सिमली	रूपांतरण कार्य	28	158000.00	सं० मुख्यालयी योजना संख्या-281/2022
12	अवस्थापना	पाटी	रा०प्रा०वि० जीरोली	रूपांतरण कार्य	27	223000.00	सं० मुख्यालयी योजना संख्या-281/2022
13	अवस्थापना	पाटी	रा०प्रा०वि० डबियाधानी	रूपांतरण कार्य	26	306000.00	सं० मुख्यालयी योजना संख्या-281/2022
14	अवस्थापना	पाटी	रा०प्रा०वि० लखौन	रूपांतरण कार्य	25	288000.00	सं० मुख्यालयी योजना संख्या-281/2022
15	अवस्थापना	पाटी	रा०प्रा०वि० मुन्वाडी	रूपांतरण कार्य	24	230000.00	सं० मुख्यालयी योजना संख्या-281/2022
16	अवस्थापना	पाटी	रा०प्रा०वि० गडबुडा	रूपांतरण कार्य	20	49000.00	सं० मुख्यालयी योजना संख्या-281/2022
17	अवस्थापना	पाटी	रा०प्रा०वि० टन्दागड	रूपांतरण कार्य	18	283000.00	सं० मुख्यालयी योजना संख्या-281/2022
18	अवस्थापना	पाटी	रा०प्रा०वि० जानाकोट	रूपांतरण कार्य	15	230000.00	सं० मुख्यालयी योजना संख्या-281/2022
19	अवस्थापना	पाटी	रा०प्रा०वि० गरसाडी	रूपांतरण कार्य	14	230000.00	सं० मुख्यालयी योजना संख्या-281/2022
20	अवस्थापना	पाटी	रा०प्रा०वि० सखडिया	रूपांतरण कार्य	13	230000.00	सं० मुख्यालयी योजना संख्या-281/2022
21	अवस्थापना	पाटी	रा०प्रा०वि० बरमटोडा	रूपांतरण कार्य	11	230000.00	सं० मुख्यालयी योजना संख्या-281/2022
22	अवस्थापना	पाटी	रा०प्रा०वि० धुनाघाट	रूपांतरण कार्य	10	230000.00	सं० मुख्यालयी योजना संख्या-281/2022
23	अवस्थापना	अवस्थापना	रा०प्रा०वि० सल्ली	रूपांतरण कार्य	78	297000.00	सं० मुख्यालयी योजना संख्या-281/2022
24	अवस्थापना	अवस्थापना	रा०प्रा०वि० बुडहम	रूपांतरण कार्य	52	372000.00	सं० मुख्यालयी योजना संख्या-281/2022
25	अवस्थापना	अवस्थापना	रा०प्रा०वि० ल्यारकुडा	रूपांतरण कार्य	41	283000.00	सं० मुख्यालयी योजना संख्या-281/2022
26	अवस्थापना	अवस्थापना	रा०प्रा०वि० बैलखेत	रूपांतरण कार्य	49	368000.00	सं० मुख्यालयी योजना संख्या-281/2022

1

2

क्र० सं०	जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	आज सं०	घनराशि	अन्युक्ति
27	अम्पावत	अम्पावत	रा०प्रा०वि० अमगडी	रूपांतरण कार्य	44	371000.00	सं० मुख्यांशरी घोषणा संख्या-281/2022
28	अम्पावत	अम्पावत	रा०प्रा०वि० बसिंदवा	रूपांतरण कार्य	39	356000.00	सं० मुख्यांशरी घोषणा संख्या-281/2022
29	अम्पावत	अम्पावत	रा०प्रा०वि० गौली	रूपांतरण कार्य	38	374000.00	सं० मुख्यांशरी घोषणा संख्या-281/2022
30	अम्पावत	अम्पावत	रा०प्रा०वि० सिलसंटा	रूपांतरण कार्य	34	495000.00	सं० मुख्यांशरी घोषणा संख्या-281/2022
31	अम्पावत	अम्पावत	रा०प्रा०वि० डकना	रूपांतरण कार्य	32	297000.00	सं० मुख्यांशरी घोषणा संख्या-281/2022
32	अम्पावत	अम्पावत	रा०प्रा०वि० मौनपौखरी	रूपांतरण कार्य	31	290000.00	सं० मुख्यांशरी घोषणा संख्या-281/2022
33	अम्पावत	अम्पावत	रा०प्रा०वि० चौडाचणपुरा	रूपांतरण कार्य	30	356000.00	सं० मुख्यांशरी घोषणा संख्या-281/2022
34	अम्पावत	अम्पावत	रा०प्रा०वि० नया अमगडी	रूपांतरण कार्य	27	163000.00	सं० मुख्यांशरी घोषणा संख्या-281/2022
35	अम्पावत	अम्पावत	रा०प्रा०वि० देला	रूपांतरण कार्य	25	383000.00	सं० मुख्यांशरी घोषणा संख्या-281/2022
36	अम्पावत	अम्पावत	रा०प्रा०वि० डिगडई	रूपांतरण कार्य	25	341000.00	सं० मुख्यांशरी घोषणा संख्या-281/2022
37	अम्पावत	अम्पावत	रा०प्रा०वि० मोघातोला	रूपांतरण कार्य	21	312000.00	सं० मुख्यांशरी घोषणा संख्या-281/2022
38	अम्पावत	अम्पावत	रा०प्रा०वि० एकीपुरौली	रूपांतरण कार्य	20	314000.00	सं० मुख्यांशरी घोषणा संख्या-281/2022
39	अम्पावत	अम्पावत	रा०प्रा०वि० बसौली	रूपांतरण कार्य	13	356000.00	सं० मुख्यांशरी घोषणा संख्या-281/2022
40	अम्पावत	अम्पावत	रा०प्रा०वि० दूरकियाशाला	रूपांतरण कार्य	13	369000.00	सं० मुख्यांशरी घोषणा संख्या-281/2022
41	अम्पावत	अम्पावत	रा०प्रा०वि० भनौली	रूपांतरण कार्य	13	330000.00	सं० मुख्यांशरी घोषणा संख्या-281/2022
42	अम्पावत	अम्पावत	रा०प्रा०वि० गजकार	रूपांतरण कार्य	11	356000.00	सं० मुख्यांशरी घोषणा संख्या-281/2022
43	अम्पावत	अम्पावत	रा०प्रा०वि० बगैला	रूपांतरण कार्य	10	396000.00	सं० मुख्यांशरी घोषणा संख्या-281/2022
44	अम्पावत	लोहाघाट	रा०प्रा०वि० टरला देवकुआ	रूपांतरण कार्य	51	341000.00	सं० मुख्यांशरी घोषणा संख्या-281/2022
45	अम्पावत	पाटी	रा०प्रा०वि० खरही	रूपांतरण कार्य	16	312000.00	सं० मुख्यांशरी घोषणा संख्या-281/2022
46	अम्पावत	लोहाघाट	रा०प्रा०वि० पिलखी	रूपांतरण कार्य	23	389000.00	सं० मुख्यांशरी घोषणा संख्या-281/2022
47	अम्पावत	लोहाघाट	रा०प्रा०वि० धलाई	रूपांतरण कार्य	22	330000.00	सं० मुख्यांशरी घोषणा संख्या-281/2022
48	अम्पावत	लोहाघाट	रा०प्रा०वि० डैसली	रूपांतरण कार्य	19	327000.00	सं० मुख्यांशरी घोषणा संख्या-281/2022
49	अम्पावत	लोहाघाट	रा०प्रा०वि० बगौटी	रूपांतरण कार्य	16	330000.00	सं० मुख्यांशरी घोषणा संख्या-281/2022
50	अम्पावत	घाटी	रा०प्रा०वि० रौटलीईजरा	रूपांतरण कार्य	18	398000.00	सं० मुख्यांशरी घोषणा संख्या-281/2022
51	अम्पावत	पाटी	रा०प्रा०वि० सेलाकोटला	रूपांतरण कार्य	22	412000.00	सं० मुख्यांशरी घोषणा संख्या-281/2022
महायोग					1408	15808000.00	-

रूपरे एक करोड अठारन लाख आठ हजार मात्र

[Handwritten Signature]

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा
उत्तराखण्ड देहरादून।

सेवा में,

मुख्य शिक्षा अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पत्रांक-

अकादमिक(04)/19673-7/नि:पा0पुस्तक/2023-24 दिनांक 19 मार्च 2024

विषय-

शिक्षा सत्र 2023-24 में नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक हेतु फर्मा को भुगतान की जाने वाली
अवशेष धनराशि के संबंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-69/XXIV(1)-A-2/2023-14/2020T.C दिनांक
13 मार्च 2024 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत
20-विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री/नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण के मानक मद 58-सहायता
अनुदान (सामान्य गैर बेतन) के अन्तर्गत प्रथम अनुपूरक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष
रु० 11,50,00,000.00 (रु० ग्यारह करोड़ पचास लाख मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त के क्रम में निदेशालय को पत्र संख्या 19405-11/5क(02)/14/2023-24
दिनांक 15 मार्च 2024 स्वीकृत धनराशि रु० 11,50,00,000.00 (रु० ग्यारह करोड़ पचास लाख मात्र)
के सापेक्ष आप द्वारा उपलब्ध कराये गये मांग के आधार पर जनपदवार निम्न विवरणानुसार धनराशि
आवंटित की गयी है।

क्र०स०	जनपद का नाम	शुद्ध देय धनराशि
1	अल्मोडा	5921474.00
2	चमोली	5426711.00
3	देहरादून	18419866.00
4	हरिद्वार	18059466.00
5	नैनीताल	9104395.00
6	पीडी	6347067.00
7	रुद्रप्रयाग	3169042.00
8	टिहरी गढ़वाल	7096888.00
9	उद्यम सिंह नगर	18284802.00
10	उत्तरकाशी	3922985.00
11	धम्पावत	3117795.00
12	बागेश्वर	2176503.00
13	पिथौरागढ़	9798693.00
योग:-		110845687.00

1. वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से
निदेशालय, को उपलब्ध कराया जाना होगा।

Her

2. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर ध्यय न किया जाय जिसके लिये वित्त हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

अतः इस संबन्ध में निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार आवंटित धनराशि ₹10 110845687.00 (रु० ग्यारह करोड़ आठ लाख पैंतालीस हजार छः सौ सत्तासी मात्र) के सम्बन्ध में नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। ध्यान रहे वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है ऐसी स्थिति में फर्मों को नियमानुसार धनराशि का भुगतान न होने पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

पू०सं०-अकादमिक(04)/19873-74 / निशुल्क पाठ्य पुस्तक / 2023-24 दिनांक उक्तवत्।
प्रतिलिपि- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।

मवदीय
(रामकृष्ण उनियाल)
निदेशक,
19/12/20

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

(रामकृष्ण उनियाल)
निदेशक,
15/12/20
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखंडा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
देहरादून/उधमसिंह नगर।

पत्रांक-नियोजन(04)/18785-89 /रा०आ०वि०/2023-24 दिनांक 06, मार्च, 2024
विषय- आदर्श विद्यालयों में अनुसूच्य कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 396/XXIV(1)-A-2/23-14/2020 टी०सी० (E-52772) दिनांक 14 जुलाई, 2023 के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या-अर्थ-2/18422-28/5क(02)/15/2023-24 दिनांक 29 फरवरी, 2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-11 के अधीन लेखा शीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन, 101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 08-विकासखण्ड स्तर पर मॉडल स्कूल के अन्तर्गत 51-अनुसूच्य मद में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष आप द्वारा उपलब्ध कराये गये राजकीय आदर्श विद्यालयों के आगणनों/प्रस्तावों के आधार पर निम्न विवरणानुसार विद्यालयों के कार्यों हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित की गयी धनराशि का उपयोग निदेशालय के उक्त पत्र में उल्लेखित निर्देशों के साथ-साथ निम्न शर्तों का अक्षरतः अनुपालन करते हुये किया जायेगा।

क्र० सं०	जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	छात्र संख्या	कुल आवंटित धनराशि
01	देहरादून	विकासनगर	रा०आ०प्रा०वि० डाकपत्थर	भवन मरम्मत	250	997000.00
02	उधमसिंह नगर	गदरपुर	रा०आ०उ०प्रा०वि० बरेलीनगर न०-02	भवन मरम्मत	50	999000.00
कुल योग:-						1996000.00

(रूपये उन्नीस लाख छियानव्वे हजार मात्र)।

- विद्यालयों के भवन मरम्मत/अनुसूच्य कार्य हेतु आवंटित धनराशि से तत्काल विद्यालय का भवन मरम्मत/अनुसूच्य कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जाय। यदि किसी विद्यालय में अन्य स्रोतों से भवन मरम्मत/अनुसूच्य कार्य किया जा रहा हो/किया जा चुका हो तो ऐसी स्थिति में धनराशि का आवंटन न करते हुए धनराशि तत्काल निदेशालय को प्रत्यावर्तित की जाय।
 - आवंटित धनराशि से विद्यालयों का अनुसूच्य कार्य पूर्ण होने के उपरान्त विद्यालयों की नाम पट्टिका सहित फोटोग्राफ एवं प्रगति आख्या तत्काल निदेशालय को उपलब्ध करायी जाय।
- संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय

(आ०क०० उ०नियाल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पू०सं०/ नियोजन(04)/ 18785-89 /रा०आ०वि०/2023-24 दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक, प्रा०शि० गढ़वाल मण्डल पीड़ी/कुमायू मण्डल नैनीताल।
3. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी (द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०) उत्तराखण्ड।


(आए०के० अनियाल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।



प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

By 1007
07/03/24

संशोधित

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उधमसिंह नगर।

पत्रांक-नियोजन(04)/

18790

/रा०आ०वि०/2023-24

दिनांक 06, मार्च, 2024

विषय-

महोदय,

आदर्श विद्यालयों में अनुसूचण कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या-अर्थ-2/18422-28/5क(02)/15/2023-24 दिनांक 29 फरवरी, 2024 के द्वारा रा०आ०उ०प्रा०वि० बरेलीनगर नं०-02 को अनुसूचण मद के अन्तर्गत भवन नरमत्त कार्य हेतु ब्युटिवश रू०- 996000.00 (रूपये नौ लाख छियानव्वे हजार मात्र) के स्थान पर रू०- 999000.00 (रूपये नौ लाख नित्यानव्वे हजार मात्र) की धनराशि आवंटित की गयी है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि रा०आ०उ०प्रा०वि० बरेलीनगर नं०-02 कार्य हेतु रू०- 996000.00 (रूपये नौ लाख छियानव्वे हजार मात्र) की धनराशि आवंटित करते हुए शेष धनराशि को तत्काल निदेशालय को समर्पित करना सुनिश्चित करें। शेष शर्तें/निर्देश यथावत रहेंगे।

भवदीय

L. Kumar
06/03/24

(आ०के० अनियाल)

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखंडा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, हरिद्वार/पौड़ी/पिथौरागढ़,
उधमसिंह नगर/अल्मोड़ा/टिहरी।

पत्रांक- नियोजन 04/17412-16

/अनुरक्षण/2023-24 दिनांक 09, फरवरी, 2024

विषय- राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अनुरक्षण कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,


उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 396/XXIV(1)-A-2/23-14/2020 डी०सी० (E-52772) दिनांक 14 जुलाई, 2023 के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या-अर्थ-2/17125-30/5क(02)/13/2023-24 दिनांक 02 फरवरी, 2024 के द्वारा अनुदान संख्या-11 के प्राथमिक विद्यालयों में अस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत 51-अनुरक्षण मद में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु आप द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणनों/प्रस्तावों के आधार पर निम्न विवरणानुसार संलग्न सूची में अंकित विद्यालयों के कार्यों हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित की गयी धनराशि का उपयोग निदेशालय के उक्त पत्र में उल्लेखित निर्देशों के साथ-साथ निम्न शर्तों का अक्षरतः अनुपालन करते हुये किया जायेगा।

क्र०सं०	जनपद का नाम	कुल कार्यों की संख्या	कुल आवंटित धनराशि
01	हरिद्वार	03	1692000.00
02	पौड़ी	02	1518000.00
03	पिथौरागढ़	16	15464000.00
04	उधमसिंह नगर	26	24861000.00
05	अल्मोड़ा	01	989000.00
06	टिहरी	01	908000.00
कुल योग:-		49	45432000.00

(रूपये चार करोड़ चौवन लाख बत्तीस हजार मात्र)।

- विद्यालयों के भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य हेतु आवंटित धनराशि से तत्काल विद्यालय का भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जाय। यदि किसी विद्यालय में अन्य स्रोतों से भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य किया जा रहा हो/किया जा चुका हो तो ऐसी स्थिति में धनराशि का आवंटन न करते हुए धनराशि तत्काल निदेशालय को प्रत्यावर्तित की जाय।
 - आवंटित धनराशि से विद्यालयों का अनुरक्षण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त विद्यालयों की नाम पट्टिका सहित फोटोग्राफ एवं प्रगति आख्या तत्काल निदेशालय को उपलब्ध करायी जाय।
- संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय


(आर०के० अनियाल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

RECEIVED
UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1. The University of Chicago is pleased to announce that the following individuals have been named to the faculty of the Department of Chemistry for the year 2023-24.
2. The appointments are effective as of the start of the academic year.
3. The individuals named are: [Name], [Name], and [Name].
4. For more information, please contact the Department of Chemistry at [phone number].

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तरखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, बागेश्वर/टिहरी/पौड़ी,
नैनीताल, अल्मोड़ा।

पत्रांक- नियोजन 04/ 16334 /अनुरक्षण/2023-24 दिनांक 20, जनवरी, 2024.

विषय- राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अनुरक्षण कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 396/XXIV(1)-A-2/23-14/2020 टी०सी० (E-52772) दिनांक 14 जुलाई, 2023 के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या-अर्थ-2/15908-13/5क(02)/13/2023-24 दिनांक 10 जनवरी, 2024 के द्वारा अनुदान संख्या-11 के प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत 51-अनुरक्षण मद में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु आप द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणनों/प्रस्तावों के आधार पर निम्न विवरणानुसार संलग्न सूची में अंकित विद्यालयों के कार्यों हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित की गयी धनराशि का उपभोग निदेशालय के उक्त पत्र में उल्लेखित निर्देशों के साथ-साथ निम्न शर्तों का अक्षरतः अनुपालन करते हुये किया जायेगा।

क्र०सं०	जनपद का नाम	कुल कार्यों की संख्या	कुल आवंटित धनराशि
01	बागेश्वर	38	242000.00
02	टिहरी	03	1296000.00
03	पौड़ी	03	1834000.00
04	नैनीताल	16	9934000.00
05	अल्मोड़ा	10	5716000.00
कुल योग:-		70	19022000.00

- विद्युत संयोजन हेतु आप द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणित धनराशि के आधार पर धनराशि अवमुक्त की गयी है, धनराशि का आहरण कर सम्बन्धित विद्यालयों में विद्युत संयोजन की कार्यवाही की जाय।
- विद्यालयों के भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य हेतु आवंटित धनराशि से तत्काल विद्यालय का भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जाय। यदि किसी विद्यालय में अन्य स्रोतों से भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य किया जा रहा हो/किया जा चुका हो तो ऐसी स्थिति में धनराशि का आपंटन न करते हुए धनराशि तत्काल निदेशालय को प्रत्यावर्तित की जाय।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय

(आर०के० उनियाल)

निदेशक


प्रारम्भिक शिक्षा उत्तरखण्ड।

विलम्ब से प्रारम्भ किया गया है जो कि खेदजनक स्थिति के साथ-साथ लापरवाही का द्योतक है।

- प्रकरण मा० न्यायालय से सम्बन्धित है शौचालय निर्माण कार्य प्रारम्भ करने में किसी प्रकार का विलम्ब होने व यथासमय निर्माण कार्य पूर्ण न करने पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।
- शौचालय निर्माण हेतु जिन विद्यालयों को धनराशि आवंटित की गयी है यदि उन विद्यालयों में शौचालय निर्माण कार्य किसी योजना यथा विधायक निधि, जिला योजना, समग्र शिक्षा, सी०एस०आर० अथवा अन्य किसी योजना से किया जा चुका हो तो ऐसी स्थिति में जनपद स्तर पर छात्र संख्या को दृष्टि में रखते हुये किसी अन्य विद्यालय जो शौचालय विहीन हो का चयन कर उस विद्यालय में शौचालय निर्माण हेतु अपने स्तर से धनराशि आवंटित करते हुए उसकी सूचना से निदेशालय को अवगत कराया जाय।
- शौचालय निर्माण हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष निर्मित शौचालयों की प्रगति आख्या से निदेशालय को माह जनवरी 2024 की अन्तिम तिथि तक अनिवार्यतः अवगत कराया जाय।

संलग्नक:- विद्यालयों की सूची।

भवदीय



(आर० के० उनियाल)
निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ०सं०/नियोजन 04/ 14776-80

/अनुरक्षण/2023-24 दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक, (प्रा०शि०) गढ़वाल मण्डल पीडी/कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
3. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी (द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०)।



(आर० के० उनियाल)
निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

बजट आवंटन

श्रेणियाँ

निदेशांक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
नमूरखंड, तनोवन रोड, देहरादून।

सेवा में

जिला अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा

पत्रांक-

अर्थ-2/11528-30/5क(2)/07/2023-24

दिनांक 12 अक्टूबर, 2023

विषय-

वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्यय में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संघलित खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु धनराशि की स्वीकृति।

संदर्भ

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 370/XXVII(A)-22023-14/2023(टी0सी0) दिनांक 21-06-2023 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन खेल प्रतियोगिता का आयोजन योजना में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन योजना के अन्तर्गत धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन 'संलग्न विवरण' के अनुसार धनराशि आपके निवेदन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि को 'संलग्न विवरण' के अनुसार संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों/उप विद्या अधिकारियों को व्यय किये जाने हेतु साफ्टवेयर के माध्यम से तत्काल आवंटित किया जाय। आवंटित धनराशि को प्रत्येक दशा में दिनांक 31-08-2023 तक निम्नानुसार व्यय कर लिया जाय।

1- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 111469/09(150)2019/XXVII(1)/2023 दिनांक 31.08.2023 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिष्ठाता निष्ठापत्री 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधित्वन 2018, 2019), वित्तीय नियम संग्रह-05 भाग-1(लेखा नियम) आय-व्यय सम्बन्धी नियम (बजट नियंत्रण) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों अदि का पालन सुनिश्चित किया जाय।

2- संलग्न विवरण के तालिका के कॉलम संख्या 4 एवं 8 में आवंटित धनराशि उप विद्या अधिकारियों को आवंटित की जायेगी एवं कॉलम संख्या 7, 9, 10 एवं 11 में आवंटित धनराशि को जनपद स्तर पर आहरण वितरण अधिकारियों को आवंटित किया जायेगा।

3- उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 944/VI-2/2011-21(6)/2011 दिनांक 16.12.2011 में निर्धारित किये गये मानकानुसार व्यय करवाना सुनिश्चित करें।

4- आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय से संबंधित दायित्व आहरण वितरण अधिकारियों को प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त नियमनुसार संबंधित को वास्तविक पुग्दान कोषागार के माध्यम से किया जायेगा एवं अवशेष धनराशि को निदेशालय को समर्पित किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का आहरण कर बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा, देना किया जाने पर अथवा निदेशालय के सज्ञान में आने पर संबंधित अधिकारी/पटल प्रभारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किये जाने की संस्तुति कर दी जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित की होगी।

5- उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाउमेंट आई0बी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनसाइन लेनदेन कर दी गयी है एवं बजट अलाउमेंट आई0बी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023-ई07678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई-साईन करवा हेतु प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार अद्यतन कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाय।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्यय में अनुदान संख्या-11 राजस्व के अन्तर्गत लेखाश्रेणिक 2202-सांख्यिक शिक्षा 01-प्रारम्भिक शिक्षा 101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 07-खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन के अधीन सुसंगत मानक मद के नामे उला जायेगा।

संलग्न- आवंटन विवरण, अलाउमेंट आई0बी0।

भवदीय,

(मोहम्मद गुलफाम अहमद)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पूरतः अर्थ-2/11528-30/5क(2)/07/2023-24 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिनिधि निम्नांकित को सूचना एवं अवगत कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1-सचिव, केन्द्रीय शिक्षा अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

2-सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी।


(मोहम्मद गुलफाम अहमद)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

कार्यालय, निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।
 अर्ब-2/5क(02)/ 115 28-30 /07/2023-24 दिनांक: 12-10-2023

धनराशि आवंटन का विवरण

वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखण्ड के अधीन खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन योजना में राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं की संकुल स्तर से राज्य स्तर तक होने वाली खेल प्रतियोगिताओं के संचालन किये जाने में होने वाले व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

योजना : खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन

लेखावर्षिक 20202110107

अन्योन्य रूप से

क्र. सं.	विवरण का नाम	राज्य की संख्या	प्रति विद्यालय (₹) 50000 ₹0 प्रति संकुल	विद्यालय संख्या	प्रति विद्यालय प्रति विद्यालय (₹) 10000 ₹0 प्रति विद्यालय	अन्योन्य प्रति संकुल (₹) 50000 ₹0 प्रति संकुल	राज्य स्तर पर प्रति संकुल (₹) 10000 ₹0 प्रति संकुल	राज्य स्तर पर प्रति संकुल (₹) 10000 ₹0 प्रति संकुल	राज्य स्तर पर प्रति संकुल (₹) 10000 ₹0 प्रति संकुल	राज्य स्तर पर प्रति संकुल (₹) 10000 ₹0 प्रति संकुल	राज्य स्तर पर प्रति संकुल (₹) 10000 ₹0 प्रति संकुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	आरंभिक	53	475000	11	122600	80000	730	270100	105000		1042100
2	उच्च	33	175000	3	36000	50000	745	275050	105000		641650
3	संगठन	24	120000	4	48000	50000	875	301550	105000		634550
4	प्राथमिक	39	195000	0	108000	80000	550	205300	105000		691500
5	उच्च	30	180000	6	72000	70000	115	49550	105000	350000	825500
6	संगठन	40	200000	6	72000	70000	115	42550	105000		510500
7	प्राथमिक	43	215000	8	96000	80000	615	227550	105000		723550
8	उच्च	115	575000	15	180000	80000	295	109150	105000		1049150
9	संगठन	64	320000	8	96000	80000	985	364450	105000		653450
10	प्राथमिक	27	135000	3	36000	50000	410	151700	105000		477700
11	उच्च	25	125000	9	108000	80000	250	92500	105000		760500
12	संगठन	27	135000	7	84000	70000	480	171600	105000		771600
13	उच्च	56	280000	6	72000	70000	355	131250	105000		558250
14	कुल	662	3310000	95	1140000	910000		2397600	1365000	350000	9472600

(रुपये चौरागने लाख सहस्र हज़ार छः सौ मात्र)

(Signature)
 (मोहम्मद मुल्ला-उपनिर्देशक)
 विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

7

प्रेषक,

समयबद्ध

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखंडा, देहरादून।

सेवा में

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

पत्रांक-नियोजन(04)/ 9187-92 /कम्प्यूटर/2023-24 दिनांक 30 अगस्त, 2023
विषय- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकीय प्राथमिक एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर क्रय हेतु स्वीकृत धनराशि का व्यय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 396/XXIV(1)-A-2/23-14/2020 टी०सी० (E-52772) दिनांक 14 जुलाई, 2023 के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या अर्थ-2/8710-15/5क (02)/13/2023-24 दिनांक 22 अगस्त, 2023 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-11 के अधीन लेखा शीर्षक 2202-सानान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन, 101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत 26-कम्प्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण हेतु निम्न विवरणानुसार धनराशि वित्त अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा सम्बन्धित जनपद के कम्प्यूटर- 45000.00 एवं यू०पी०एस०- 2000.00 की दर से कुल 47000.00 प्रति सेट निवर्तन में रखते हुये व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

क्र० सं०	जनपद का नाम	विद्यालयों की संख्या जिन्हे कम्प्यूटर आवंटित किया जा रहा है	आवंटित कम्प्यूटरों की संख्या	दर प्रति सेट	कुल आवंटित धनराशि
1	Almora	407	407	47000.00	19129000.00
2	Bageshwar	293	293	47000.00	13771000.00
3	Chamoli	428	428	47000.00	20116000.00
4	Champawat	152	152	47000.00	7144000.00
5	Dehradun	436	436	47000.00	20492000.00
6	Nainital	297	297	47000.00	13959000.00
7	Pauri	266	266	47000.00	12502000.00
8	Pithoragarh	257	257	47000.00	12079000.00
9	Rudrapur	371	371	47000.00	17437000.00
10	Tehri	495	495	47000.00	23265000.00
11	US Nagar	509	509	47000.00	23923000.00
12	Uttarkashi	344	344	47000.00	16168000.00
Total		4255	4255	47000.00	199985000.00

कुल योग:- ₹0- 199985000.00 (₹0 उन्नीस करोड़ निम्नानब्बे लाख पचासी हजार मात्र)

- > वित्तीय वर्ष 2022-23 में कम्प्यूटर क्रय हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष जनपद हरिद्वार द्वारा ही कम्प्यूटर क्रय किये गये शेष जनपदों को वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष छात्र संख्या को मानक मानते हुए धनराशि आवंटित की जा रही है।
- > सम्बन्धित विद्यालयों हेतु कम्प्यूटर क्रय की कार्यवाही शासन के पत्र संख्या 395/XXIV-A-2/2023-26/2022 (E-43596) दिनांक 21 जुलाई, 2023 के साथ संलग्न विशिष्टियों के आधार पर (कम्प्यूटर एवं यू०पी०एस०) महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-नियोजन(04)/5300-04/कम्प्यूटर/2022-23 दिनांक 14 नवम्बर, 2022 (संलग्न) में दिए गए निर्देशानुसार जनपद स्तर पर मुख्य शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2017 के प्राविधानों के तहत GEM/E-Tender के माध्यम से क्रय किये जायेंगे।

/



- निदेशालय स्तर से आपको संलग्न सूची अनुसार विद्यालयवार कम्प्यूटर एवं यू०पी०एस० क्रय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आप अपने स्तर से इन विद्यालयों का पुनः छात्र संख्या, सुरक्षित कक्षा-कक्ष एवं विद्यालय विद्युत संयोजित है अथवा नहीं का परीक्षण अवश्य कर लें। यदि किसी विद्यालय में किसी अन्य योजना यथा सी०एस०आर०/विधायक निधि/समग्र शिक्षा आदि योजना से विद्यालय में कम्प्यूटर उपलब्ध कराये गये हों अथवा विद्यालय में पूर्व से ही कम्प्यूटर उपलब्ध हैं, तो ऐसी स्थिति में अपने स्तर से उस विद्यालय के स्थान पर अन्य विद्यालय का छात्र संख्या को मानक मानते हुए (प्राथमिकता के आधार पर ऐसे विद्यालय जहां कोई भी कम्प्यूटर उपलब्ध न हों) चयन कर उसे कम्प्यूटर आवंटित करने के उपरान्त उसकी सूचना निदेशालय को उपलब्ध करायी जाय।
- जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले कम्प्यूटर/यू०पी०एस० की गुणवत्ता का स्थापन कर लिया जाय।
- विद्यालयों हेतु कम्प्यूटर/यू०पी०एस० क्रय की कार्यवाही निर्धारित अवधि के अन्तर्गत कर, आपूर्ति अनिवार्यतः रूप से पूर्ण करते हुए उसकी अंकना सम्बन्धित विद्यालय के सम्भार पंजिका (स्टॉक) में आवश्यक रूप से कर ली जाय तथा कम्प्यूटर/यू०पी०एस० पर आवंटन वर्ष (2023-24) भी अंकित किया जाय।
- सम्बन्धित जनपदों द्वारा कम्प्यूटर/यू०पी०एस० क्रय करने के उपरान्त कम्प्यूटर/यू०पी०एस० की गुणवत्ता प्रमाण पत्र के साथ ही उसका उपभोग प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप 42-आई पर सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
- अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय कदापि न किया जाए तथा चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी को अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाए। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाए जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।
- उक्त के अतिरिक्त आवंटित धनराशि से व्यय की कार्यवाही उक्त के अनुपालन के साथ-साथ अर्थ अनुभाग के पत्र में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुये किया जायेगा।

संलग्नक:- उक्तवत्।

भवदीय
2/11/23 28/8/2023
(आर० के० उनियाल)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०/नियोजन(04)/ 9187-92 /कम्प्यूटर/2023-24 दिनांक उक्तवत्।
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
2. वित्त नियंत्रक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
3. अपर निदेशक, प्रा०शि० गढ़वाल मण्डल पीडी/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड।
5. समस्त उप शिक्षा अधिकारी, (द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा)।

2/11/23 28/8/2023
(आर० के० उनियाल)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।



समयबद्ध

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

पत्रांक-नियोजन(04)/ 8606-11 / फर्नीचर/2023-24 दिनांक 21, अगस्त, 2023
विषय- राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में फर्नीचर क्रय किये जाने विषयक।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 396/XXIV(1)-A-2/23-14/2020 टी0सी0 (E-52772) दिनांक 14 जुलाई, 2023 के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या अर्ध-2/8247-52/5क(02)/13/2023-24 दिनांक 11 अगस्त, 2023 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या- 11 के अधीन लेखा शीषक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन, 101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत 12-प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास, 21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं के लिए फर्नीचर क्रय हेतु ₹0 06.00 करोड़ (रूपये छः करोड़ मात्र) की धनराशि को निम्न विवरणानुसार वित्त अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा सम्बन्धित जनपद के निवर्तन में रखते हुये व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

क्र० सं०	जनपद	विद्यालयों की संख्या	छात्र/छात्राओं की संख्या जिनके लिए फर्नीचर की धनराशि आवंटित की जा रही है	धनराशि @ 2.00 हजार ₹0 प्रति छात्र
1	अल्मोड़ा	37	514	1028000.00
2	बागेश्वर	20	264	528000.00
3	चमोली	83	1562	3124000.00
4	धम्पावत	24	808	1616000.00
5	देहरादून	222	7991	15982000.00
6	हरिद्वार	143	5239	10478000.00
7	नैनीताल	113	3027	6054000.00
8	पौड़ी	35	604	1208000.00
9	पिथौरागढ़	42	705	1410000.00
10	रूद्रप्रयाग	23	575	1150000.00
11	टिहरी	65	1087	2174000.00
12	उधमसिंह नगर	221	6656	13312000.00
13	उत्तरकाशी	63	968	1936000.00
कुल योग		1091	30000	60000000.00

कुल योग:- (रूपये छः करोड़ मात्र)

उक्त स्वीकृत धनराशि से राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं हेतु निम्न प्रक्रियानुसार फर्नीचर क्रय की कार्यवाही की जायेगी।

1. आप द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर छात्र संख्या को मानक मानते हुए अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं के लिये फर्नीचर क्रय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि से महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा के पत्र संख्या नियोजन (04)/6818-20 / फर्नी0/2022-23 दिनांक 14 जुलाई, 2022

(संलग्न) के अनुसार जनपद स्तर पर मुख्य शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निर्धारित विशिष्टियों एवं निर्देशों के अनुसार उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2017 के प्राविधानों के तहत GEM/ E-Tender के माध्यम से राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए फर्नीचर क्रय किया जायेगा।

2. आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर फर्नीचर क्रय हेतु विद्यालयवार धन आवंटन किया गया है। आप पुनः अपने स्तर से फर्नीचर आवश्यकता वाले विद्यालयों की छात्र संख्या का परीक्षण अवश्य कर लें प्रथम वरीयता के आधार पर संलग्न सूची (ई-मेल द्वारा प्रेषित) में अंकित विद्यालयों को फर्नीचर उपलब्ध कराया जाय यदि सूची में अंकित किन्हीं विद्यालयों में छात्र संख्या में असमानता पायी जाती है या चयनित विद्यालयों में से किसी विद्यालय को सी0एस0आर0, विधायक निधि आदि के अन्तर्गत धनराशि आवंटित की गयी हो अथवा चयनित विद्यालय के पास पर्याप्त कक्षा-कक्ष उपलब्ध न हों तथा विद्यालय के पास पर्याप्त फर्नीचर उपलब्ध हों तो ऐसी स्थिति में जनपद स्तर से अधिक छात्र संख्या के विद्यालयों, जहाँ फर्नीचर की आवश्यकता हो का चयन करते हुये उन विद्यालयों में अपने स्तर से फर्नीचर समायोजित करने के उपरान्त उसकी सूचना निदेशालय को उपलब्ध करायी जाय।
3. जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले फर्नीचर की गुणवत्ता का सत्यापन कर लिया जाय।
4. विद्यालयों हेतु फर्नीचर क्रय की कार्यवाही निर्धारित अवधि के अन्तर्गत कर, आपूर्ति अनिवार्यतः रूप से पूर्ण करते उसकी अंकना सम्बन्धित विद्यालय के सम्भार पंजिका (स्टॉक) में आवश्यक रूप से कर ली जाय तथा फर्नीचर पर आवंटन वर्ष (2023-24) भी अंकित किया जाय।
5. उक्त के अतिरिक्त फर्नीचर क्रय की कार्यवाही अर्ध अनुभाग के उक्त पत्र में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुये किया जायेगा।
6. योजनान्तर्गत फर्नीचर क्रय की कार्यवाही के उपरान्त धनराशि अयशेष रहने की दशा में उसे कदापि जनपद स्तर पर किसी भी प्रत्याशा में न रोका जाय, शेष धनराशि निदेशालय को प्रत्यावर्तित की जायेगी।
7. सम्बन्धित जनपदों द्वारा फर्नीचर क्रय करने के उपरान्त फर्नीचर की गुणवत्ता प्रमाण पत्र के साथ ही उसका उपनोग प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप 42-आई पर सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय
21/8/2023
(आर. के. उनियाल)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/नियोजन(04)/ 8606-77 / फर्नीचर/2023-24 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
2. वित्त नियंत्रक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
3. अपर निदेशक प्रा0शि0 गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
4. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त उप शिक्षा अधिकारी (द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0)।

21/8/2023
(आर. के. उनियाल)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।



प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखड़ा, देहरादून।

सेवा में

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

पत्रांक-नियोजन(04)/ 8612-18 /रा०आ०वि०/2023-24 दिनांक 21 अगस्त, 2023
विषय- प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत राज्य के राजकीय आदर्श प्राथमिक एवं राजकीय आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु आवंटित धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 370/XXIV(1)-A-2/2023-14/2020 टी०सी० दिनांक 21 जून, 2023 एवं शासनादेश संख्या: 396/XXIV(1)-A-2/23-14/2020 टी०सी० (E-52772) दिनांक 14 जुलाई, 2023 के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या अर्थ-2/8253-59/5क (02)/15/2023-24 दिनांक 11 अगस्त, 2023 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-11 के अधीन लेखा शीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन, 101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत 08-विकासखण्ड स्तर पर मॉडल स्कूल हेतु निम्न विवरणानुसार धनराशि वित्त अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा सम्बन्धित जनपद के नियतन में रखते हुये व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

क्र० सं०	जनपद का नाम	कुल छात्र संख्या	20-लेखन सामग्री छपाई (प्रबन्धन)	42- अन्य विभागीय व्यय (पुस्तकालय)	28-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर एवं अनुसूचण		21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	
					आवंटित कम्प्यूटर की सं०	आवंटित धनराशि @ 47.00 हजार प्रति सेट	कुल छात्र सं०	धनराशि @ 02.00 हजार प्रति छात्र
1	Almora	1569	303000.00	154900.00	1	47000.00	38	76000.00
2	Bageshwar	828	103000.00	50400.00	1	47000.00	50	100000.00
3	Chamoli	1659	264000.00	133000.00	1	47000.00	33	66000.00
4	Champawat	935	120000.00	60300.00	1	47000.00	40	80000.00
5	Dehradun	2612	244000.00	117800.00	3	141000.00	46	92000.00
6	Haridwar	2981	266000.00	129100.00	1	47000.00	40	80000.00
7	Nainital	2096	257000.00	128700.00	1	47000.00	40	80000.00
8	Pauri	1628	387000.00	198600.00	1	47000.00	40	80000.00
9	Pithoragarh	1262	227000.00	115800.00	1	47000.00	38	76000.00
10	Rudrapur	437	83000.00	42800.00	1	47000.00	36	72000.00
11	Tehri	1584	252000.00	126600.00	1	47000.00	32	64000.00
12	US Nagar	3851	303000.00	145200.00	3	141000.00	32	64000.00
13	Uttarkashi	1436	191000.00	96800.00	1	47000.00	35	70000.00
	Total	22878	3000000.00	1500000.00	17	799000.00	500	1000000.00

कुल योग:- रू०- 8299000.00 (रू० बासठ लाख निम्नान्वये हजार मात्र)




राजकीय आदर्श विद्यालयों हेतु आवंटित की गयी धनराशि से निम्न विशिष्टियों को मानक मानते हुए सामग्री क्रय की कार्यवाही की जायेगी।

क्र. सं.	मद	विशिष्टियां
1.	20-लेखन सामग्री छपाई (प्रबन्धन)	मद से लेखन सामग्री, डॉक व कार्यालय उपयोग की सामग्री के साथ-साथ कक्षा-शिक्षण रूचिकर बनाने हेतु Indoor एवं Outdoor Activity Items रूचिकर सामग्री इत्यादि भी क्रय की जा सकती हैं, जिसमें बच्चों की सी०सी०ई० प्रगति, छात्रों की मासिक उपलब्धि, गृह कार्य इत्यादि की अंकना की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त जिन विद्यालयों को कार्टेज (फोटो स्टेट/प्रिन्टर हेतु) की आवश्यकता हो वे विद्यालय कार्टेज भी खरीद सकते हैं।
2.	42-अन्य विभागीय व्यय (पुस्तकालय)	विद्यार्थियों में अकादमिक रूचि जागृत करने के लिए पुस्तकालय गतिविधियों का किया जाना अति आवश्यक है। छात्रों की आयु वर्ग को देखते हुए राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (NBT), नेहरू बाल पुस्तकालय, अमर चित्र कथा, शब्दकोष Dictionary, कला एवं क्राफ्ट (Art Craft) से सम्बन्धित पुस्तकें, विज्ञान एवं गणित से सम्बन्धित पुस्तकें एवं बायोग्राफी, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, समाचार पत्र आदि क्रय किये जा सकते हैं।
3.	26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	जनपदों के द्वारा कम्प्यूटर की मांग एवं उपलब्ध बजट के सापेक्ष धनराशि आवंटित की गयी है।
4.	21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	जनपदों के द्वारा छात्र फर्नीचर की मांग एवं उपलब्ध बजट के सापेक्ष धनराशि आवंटित की गयी है।

- सम्बन्धित विद्यालयों हेतु कम्प्यूटर क्रय की कार्यवाही शासन के पत्र संख्या 395/XXIV-A-2/2023-26/2022 (E-43596) दिनांक 21 जुलाई, 2023 के साथ संलग्न विशिष्टियों के आधार पर (कम्प्यूटर एवं यू०पी०एस०) महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-नियोजन(04)/5300-04/कम्प्यूटर/2022-23 दिनांक 14 नवम्बर, 2022 (संलग्न) में दिए गए निर्देशानुसार जनपद स्तर पर मुख्य शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2017 के प्राविधानों के तहत GEM/E-Tender के माध्यम से क्रय किये जायेंगे।
- आप द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर छात्र संख्या को मानक मानते हुए अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिये फर्नीचर क्रय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि से महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा के पत्र संख्या नियोजन (04)/6818-20 /फर्नीचर/2022-23 दिनांक 14 जुलाई, 2022 (संलग्न) के अनुसार जनपद स्तर पर मुख्य शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निर्धारित विशिष्टियों एवं निर्देशों के अनुसार उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2017 के प्राविधानों के तहत GEM/ E-Tender के माध्यम से राजकीय आदर्श प्राथमिक एवं राजकीय आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए फर्नीचर क्रय किया जायेगा।
- जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले फर्नीचर/कम्प्यूटर की गुणवत्ता का सत्यापन कर लिया जाय।
- विद्यालयों हेतु फर्नीचर/कम्प्यूटर क्रय की कार्यवाही निर्धारित अवधि के अन्तर्गत कर, आपूर्ति अनिवार्यतः रूप से पूर्ण करते हुए उसकी अंकना सम्बन्धित विद्यालय के सम्भार पंजिका (स्टॉक) में आवश्यक रूप से कर ली जाय तथा फर्नीचर/कम्प्यूटर पर आवंटन वर्ष (2023-24) भी अंकित किया जाय।




- सम्बन्धित जनपदों द्वारा फर्नीचर/कम्प्यूटर क्रय करने के उपरान्त फर्नीचर/कम्प्यूटर की गुणवत्ता प्रमाण पत्र के साथ ही उसका उपभोग प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप 42-आई पर सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
- पुस्तकालय मद से सम्बन्धित सामग्री प्रधानाध्यापक/एस०एम०सी० के सुझावों के आधार पर क्रय की जाय।
- पुस्तकालय से सम्बन्धित समस्त बिल क्रय समिति के हस्ताक्षर/सत्यापन/कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र सहित विद्यालय स्तर से उप शिक्षा अधिकारी (आहरण-वितरण अधिकारी) को प्रस्तुत किये जायेंगे, तत्पश्चात् उप शिक्षा अधिकारी (आहरण-वितरण अधिकारी) द्वारा कोषागार के माध्यम से भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
- अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय कदापि न किया जाए तथा चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी को अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाए। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाए जिसके लिए वित्तीय हस्तापुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।
- यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त वर्णित धनराशि अधिकतम है, जिसके उपभोग में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जाय। प्रत्येक मद में धनराशि के उपयोग में गुणवत्ता का कड़ाई से पालन किया जायेगा। विद्यालय स्तर पर यदि किसी मद में धनराशि की बचत होती है, तो आहरण-वितरण अधिकारी (उप शिक्षा अधिकारी) उसी मद में अन्य आवश्यकता वाले आदर्श विद्यालय का अपने स्तर से चयन कर धनराशि का समायोजन कर लें। इसी प्रकार समान मद में बचत होने की दशा में सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी प्रा०शि० द्वारा अन्य विकासखण्डों के छात्र संख्या एवं सामग्री की आवश्यकता को देखते हुए धनराशि/सामग्री का समायोजन कर उसकी सूचना निदेशालय को उपलब्ध करायी जायेगी।
- उक्त के अतिरिक्त आवंटित धनराशि से व्यय की कार्यवाही उक्त के अनुपालन के साथ-साथ अर्ध अनुभाग के पत्र में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुये किया जायेगा।

भुवदीय

(आर० के० उनियाल)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०/नियोजन(04)/ 8612-18 /रा०आ०वि०/2023-24 दिनांक उक्तवत्।
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
2. वित्त नियंत्रक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
3. अपर निदेशक, प्रा०शि० गढ़वाल मण्डल पीड़ी/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड।
5. समस्त उप शिक्षा अधिकारी, (द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा)।
6. समस्त प्रधानाध्यापक, चयनित आदर्श विद्यालय, (द्वारा उप शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित विकासखण्ड)।


(आर० के० उनियाल)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

45153/2023

BES2-5/109/5/2022-XXIV-A-2-Basic Education Department

उत्तराखण्ड शासन

बेसिक शिक्षा अनुभाग-2

संख्या 517 XXIV-A-2/23-45/2008T.C.IV

देहरादून: दिनांक 10 अगस्त, 2023

अधिसूचना

राज्यपाल नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (एनडीय अधिनियम संख्या 35 वर्ष 2009) की धारा 38 द्वारा शक्तिपूर्ण का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 में अंग्रेज़ी संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन)
नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियमावली, 2023 है।

नियम 2 का संशोधन

(2) यह आगामी शैक्षिक सत्र 2024-25 से प्रवृत्त होगा।
2. उत्तराखण्ड नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 2 के उपनियम 1 के खण्ड (घ) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जाएगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1

स्तम्भ-2

विद्यमान उप नियम	एवम् द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
"बच्चे" से 6 से 14 वय वर्ग का कोई बालक या बालिका अनिप्रेत है, परन्तु विशिष्ट आवश्यकतावादी बच्चों के लिए "बच्चे" से 6 से 18 वय वर्ग का कोई बालक या बालिका अनिप्रेत है;	"बच्चे" से 6 से 14 वय वर्ग का कोई बालक या बालिका अनिप्रेत है, परन्तु विशिष्ट आवश्यकतावादी बच्चों के लिए "बच्चे" से 6 से 18 वय वर्ग का कोई बालक या बालिका अनिप्रेत है। 06 वर्ष का अनिप्रेत है कि बालक या बालिका द्वारा शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने की तिथि को (अर्थात् प्रत्येक वर्ष अग्रेत माह की प्रथम तिथि) या उससे पूर्व 06 वर्ष की आयु पूर्णता प्राप्त कर ली गई हो, अर्थात् 06 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात् 12 माह की अवधि पूर्ण हो चुकी हो।

Signed by Raman Revathi

Date: 09-08-2023 14:45:31

(रमण रघुवन्)
सचिव।

संख्या 517 () XXIV-A-2/23-45/2008T.C.IV संश्लेषण

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
2. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा योजना, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सनस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. सनस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड।
6. सनस्त जिला शिक्षा अधिकारी, (बेसिक) उत्तराखण्ड।
7. संयुक्त निदेशक, राजकीय लिपि प्रेस, रुड़की, सरकारी गजट में प्रकाशन हेतु।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुपेन्द्र सिंह बोरा)
संयुक्त सचिव।

BES2-5/109/5/2022-XXIV-A-2-Basic Education Department

154/2023

511

14/08/23

In pursuance of the provision of clause(3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no..... dated..... for general information:

Govt. Of Uttarakhand
Basic Education section-2

No. /XXIV-A-2/23-45/20087.CIV
Dehradun, Dated 10 August, 2023

Notification

In exercise of the powers conferred by section 38 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (Central-Act-No-35-of-2009), the Governor makes the following rules with a view to further amend the Uttarakhand Right of Children to Free and Compulsory Education rules, 2011 :-

THE UTTARAKHAND RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION (AMENDMENT) RULES, 2023

Short Title and Commencement:

- (1) These Rules may be called the Uttarakhand Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Rules, 2023.
(2) it shall come into force from subsequent academic session 2024-25.

Amendment of Rule 2

- In the Uttarakhand Right of Children to Free and Compulsory Rules, 2011 for the existing clause (f) of Sub-rule (1) of rule 2 as set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted namely-

Column-1 Existing Sub-rule	Column-2 Hereby Substituted Sub-rule
"Child" means a male or female child of the age of 6 to 14 years, provided that for the purpose of Children With Special Needs the "Child" means a male or female child of the age of 6 to 18 years".	"Child" means a male or female child of the age group of 6 to 14 years, provided that for the purpose of Children With Special Needs the "Child" means a male or female child of the age group of 6 to 18 years. 06 years means that the male or female child should have attained the age of 06 years on (i.e. 1 st April of every year) or before the date of commencement of the academic session, i.e. the period of 12 months has been completed after completing 05 years".

Signed by Raman Ravinath

Date: 09-08-2023 14:48:11 (Ravinath Raman)
Secretary

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

पत्रांक-अकादमिक(04)/6655-59/जूता व बैग/2023-24

दिनांक-14 जुलाई 2023

विषय- कक्षा-1 से 8 तक अध्ययनरत समस्त छात्र-छात्राओं को निःशुल्क जूता एवं बैग हेतु धनराशि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-370/XXIV-(1)A-2/2022-27/2021 दिनांक 22 जून 2023 द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु राज्य के समस्त राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के कक्षा 01 से 08 तक अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को निःशुल्क जूता एवं बैग हेतु डी0बी0टी0 (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से धनराशि भुगतान किये जाने के लिये रु0 25.00 करोड़ (रु0 पच्चीस करोड़ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से आप द्वारा उपलब्ध कराई गयी छात्र संख्या व मांग के आधार पर निदेशालय के पत्र संख्या-अर्थ-2/8348-51/05क(02)/18/2023-24 दिनांक 11 जुलाई, 2023 द्वारा निम्न विवरणानुसार जनपदवार धनराशि विल आधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा के निवर्तन में रखते हुए पत्र में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप व्यय करने की अनुमति प्रदान की गयी है।

क्र0 सं0	जनपद का नाम	स्वीकृत धनराशि के समक्ष लागू कक्षा-1 से 8 तक छात्र-छात्राओं की संख्या	कक्षा-1 से 8 तक बैग हेतु रु0 185.00 की दर से एवं जूता रु0 153.00 की दर से कुल रु0 338.00 प्रति छात्र की दर से धनराशि	स्वीकृत धनराशि के समक्ष लागू कक्षा-6 से 8 तक छात्र-छात्राओं की संख्या	कक्षा-6 से 8 तक बैग हेतु रु0 275.00 की दर से एवं जूता रु0 187.00 की दर से कुल रु0 462.00 प्रति छात्र की दर से धनराशि	सम्पूर्ण धनराशि
1	अल्मोड़ा	19531	6210858.00	15930	7359660.00	13570518.00
2	बागेश्वर	10022	3186996.00	7779	3593898.00	6780894.00
3	चमोली	16786	5337948.00	12542	5794404.00	11132352.00
4	चम्पावत	10740	3415320.00	8673	4006926.00	7422246.00
5	देहरादून	43230	13747140.00	29862	13796244.00	27543384.00
6	हरिद्वार	91523	29104314.00	44106	20376972.00	49481286.00
7	मैनीताल	32331	10281258.00	24475	11307450.00	21588708.00
8	पौड़ी	19932	6338376.00	15799	7299138.00	13637514.00
9	पिथौरागढ़	14905	4739790.00	12317	5690454.00	10430244.00
10	रूद्रप्रयाग	11471	3647778.00	9142	4223604.00	7871382.00
11	टिहरी	25855	8221890.00	20398	9516276.00	17738166.00
12	ऊधमसिंह नगर	69228	22014504.00	14071	20360802.00	42375306.00
13	उत्तरकाशी	15184	4828512.00	7415	3425730.00	8254242.00
	योग	380738	121074684.00	252709	116751558.00	237826242.00

आवंटित धनराशि को उक्त पत्र में उल्लिखित निर्देशों के साथ-साथ निम्न बातों का अक्षरतः अनुपालन करते हुए हस्तांतरित करने की कार्यवाही की जाय।

1. धनराशि का भुगतान राज्य के समस्त राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के कक्षा 01 से 08 तक अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को निःशुल्क जूता एवं बैग हेतु डी0बी0टी0 (Direct Benefit Transfer) के माध्यम किया जाएगा।
2. वित्तीय वर्ष 2023-24 में कक्षा 01 से 05 तक अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को प्रति छात्र कुल ₹0 318/- मात्र (जूता मूल्य ₹0 153/ एवं बैग मूल्य ₹0 165) तथा कक्षा 06 से 08 तक अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को प्रति छात्र कुल ₹0 462/- मात्र (जूता मूल्य ₹0 187/ एवं बैग मूल्य ₹0 275) की दर से भुगतान डी0बी0टी0 के माध्यम से किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि को छात्र-छात्राओं को डी0बी0टी0 (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से धनराशि हस्तागत करने के उपरान्त यदि किसी जनपद में धनराशि अवशेष रहे तो उसे तत्काल निदेशालय को प्रत्यावर्तित किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि को छात्र-छात्राओं को डी0बी0टी0 (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से धनराशि हस्तागत करने के उपरान्त शेष धनराशि को किसी भी दशा में जनपद स्तर पर न रखा जाय।
5. यदि किसी जनपद में धनराशि हस्तांतरित करने के उपरान्त अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता हो तो ऐसी स्थिति में पूर्व निर्धारित प्रारूप पर उसकी अतिरिक्त मांग का प्रस्ताव निदेशालय को उपलब्ध कराया जाय।
6. सम्बन्धित धनराशि का उपभोग किसी अलग मद में कदापि न किया जाय।
7. विकास खण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित की जायेगी जिसमें एक वित्त सम्बन्धी कार्मिक अवश्य हो, के द्वारा इसकी समीक्षा कर कार्य पूर्ति प्रमाण एवं उसकी आख्या जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा के माध्यम से यथा निर्देश निदेशालय को उपलब्ध करायी जायेगी।
8. अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

संलग्नक-यथोपरि।

भुवदीय
(आर0 को0 उनियाल)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0-अकादमिक(04)/6655-59 /जूता व बैग/2023-24 दिनांक उक्तवत्।
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
2. अपर निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
3. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड/जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में अध्ययनरत् कक्षा-1 से 8 तक के छात्र-छात्राओं की संख्या जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा को उपलब्ध सुनिश्चित करें।
4. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी (द्वारा सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी प्रा0शि0)

(आर0 को0 उनियाल)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननुरखेड़ा, रामोवन रोड, देहरादून।

सेवा में

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, पिथौरागढ़।

पत्रांक-

नियोज(04)/18981-87 / बजट(139)/2023-24

दिनांक 12 मार्च 2024

विषय-

राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय गुरना, पिथौरागढ़ में 03 अतिरिक्त कक्षा-कक्षा का निर्माण कार्य की स्वीकृति/घनराश्टन के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 45/XXIV-A-2024-15/2023(E-59062) दिनांक 28 फरवरी, 2024 के द्वारा राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय गुरना, पिथौरागढ़ में 03 अतिरिक्त कक्षा-कक्षा का निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा टी0(ए0र0) के परीक्षणोपसान्त उपलब्ध कराये गये आंगण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 में रुपये 41,00,000 (रुपये इकतालीस लाख मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत घनराशि रुपये 41,00,000 (रुपये इकतालीस लाख मात्र) को आपके निर्वहन में रखते हुए संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिशर्तों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

स्वीकृत घनराशि के सापेक्ष निषिद्धा के अन्वय पर अनुबन्धित घनराशि का ही आहरण कर सम्यन्धित कार्यदायी संस्था को मुग्तान किये जाने के उपरान्त शेष घनराशि को समयान्तर्गत समर्पण/राजकोष में जमा किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में होने वाला ध्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिष्यय, 01-सामान्य शिक्षा, 201-प्रारम्भिक शिक्षा, 03-प्राथमिक विद्यालयों का विकास एवं सुदुदुीकरण के मानक मद 53-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

संलग्न- अलाटमेंट आर्दोडोडो
शासनादेश की प्रति।

भकृदीय

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पूठसं- नियोजन(04)/18981-87 / बजट(139)/2023-24 दिनांक उक्तवत्।
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
- 2- सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 3- जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
- 4- मुख्य कोषधिकारी/कोषधिकारी, पिथौरागढ़।
- 5- वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, पिथौरागढ़।
- 6- गार्ड फाइल।

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।



प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननुरखेडा, देहरादून।

सेवा में

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा.शि.)
पिथौरागढ़।

पत्रांक-

नियोज(04)/ 19/10-16 / बजट(139)/2023-24 दिनांक फरवरी, 2024

विषय-

मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-273/2023 की पूर्ति हेतु राजकीय प्राथमिक विद्यालय टुण्डी, वि०ख० कनालीछीना, पिथौरागढ़ में अतिरिक्त कक्षा-कक्षा का पुनर्निर्माण कार्य की स्वीकृति/धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-836/XXIV-A-2/24-3/2024(E-67262) दिनांक 06 फरवरी, 2024 के द्वारा मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-273/2023 "राजकीय प्राथमिक विद्यालय टुण्डी, वि०ख० कनालीछीना, पिथौरागढ़ में अतिरिक्त कक्षा-कक्षा का पुनर्निर्माण कार्य किया जायेगा" के क्रियान्वयन हेतु राजकीय प्राथमिक विद्यालय टुण्डी, के अतिरिक्त कक्षा-कक्षा का पुनर्निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड द्वारा टी०ए०सी० के परीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराये गये आंगण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 में रूपये 14,28,000.00 (रूपये चौदह लाख अट्ठाईस हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रूपये 14,28,000.00 (रूपये चौदह लाख अट्ठाईस हजार मात्र) को आपके निवर्तन में रखते हुए संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-01 सामान्य शिक्षा-201 प्रारम्भिक शिक्षा-03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढीकरण-63-वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न- शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीय,

(हेमेश प्रकाश गंगवार)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०/नियोजन(04)/ 19/10-16

/ बजट (139)/2023-24 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग-02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, पिथौरागढ़।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(हेमेश प्रकाश गंगवार)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा.शि.)
पौड़ी।

पत्रांक-

नियोज(04)/18088-94 / बजट(139)/2023-24 दिनांक 22
करवरी, 2024
विषय- वित्तीय वर्ष 2023-24 में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालयों
के भवन पुनर्निर्माण कार्य की स्वीकृति/घनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-84/XXIV-A-2/2024-2/2024(E-67327) दिनांक 06
फरवरी, 2024 के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत निम्न राजकीय
प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण कार्य के आगणन कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग
द्वारा टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराये गये आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति
प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 में रूपये 52,41,000.00 (रूपये बावन लाख इकतालीस हजार
मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रूपये 52,41,000.00 (रूपये बावन लाख
इकतालीस हजार मात्र) को आपके नियंत्रण में रखते हुए संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं
प्रतिबंधों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	वि0ख0 का नाम	विद्यालय का नाम	कार्य	आगणन की लागत	अवमुक्त की जारी धनराशि (50 प्रतिशत)
1	धलीसैण	रा0प्रा0वि0 सुन्दर (रणगांव)	भवन पुनर्निर्माण	35,16,000	17,58,000
2	धलीसैण	रा0प्रा0वि0 जीती डोंग	भवन पुनर्निर्माण	34,83,000	17,41,500
3	धलीसैण	रा0प्रा0वि0 डडोली तल्ली	भवन पुनर्निर्माण	34,83,000	17,41,500
योग					52,41,000

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण
कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को मुगतान किया जाए।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-11 के
अन्तर्गत लेखा शीर्षक-4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय- 01 सामान्य शिक्षा-
201 प्रारम्भिक शिक्षा- 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढीकरण-53-वृहद निर्माण कार्य के
नामों डाला जायेगा।

संलग्न- शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भयदीप

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पू0सं0/नियोजन(04)/18088-94 / बजट (139)/2023-24 उप्तादिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग-02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, पौड़ी।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, पौड़ी।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।



प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननुरखेडा, देहरादून ।

सेवा में

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा.शि.)
अल्मोड़ा ।

पत्रांक-

नियो0(04)/ 16223-29 / बजट(139)/2023-24 दिनांक/ जनवरी, 2024

विषय-

मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-199/2023 की पूर्ति हेतु जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोटाचामी के भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति/ धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-15/XXIV-A-2/2023-31/2023(E-57784) दिनांक 08 जनवरी, 2024 के द्वारा मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-199/2023 की पूर्ति हेतु जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सल्ट के राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोटाचामी के भवन निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराये गये आंगण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 में रूपये 44,72,000.00 (रूपये चवालीस लाख बहत्तर हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रूपये 44,72,000.00 (रूपये चवालीस लाख बहत्तर हजार मात्र) को आपके निवर्तन में रखते हुए संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्ता एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय- 01 सामान्य शिक्षा- 201 प्रारम्भिक शिक्षा- 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढीकरण-53-वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न- शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीय,

(मोहम्मद गुलफाम अहमद)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पू0सं0/नियोजन(04)/ 16223-29 / बजट (139)/2023-24 उक्तदिनांकित्।
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग-02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(मोहम्मद गुलफाम अहमद)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननुरखेडा, देहरादून।



सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्र.शिक्ष.)
अल्मोड़ा।

०८ जनवरी २०२३

पत्रांक- नियोजन(04)/ 15656-62 / बजट(139)/2023-24

दिनांक दिसम्बर, २०२२

विषय- मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-199/2023 की पूर्ति हेतु जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक एवं आदर्श प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण कार्यों की स्वीकृति/घनाघटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-805/XXIV-A-2/23-32/2023(E-64739) दिनांक 19 दिसम्बर 2023 के द्वारा मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-199/2023 की पूर्ति हेतु जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सल्ट के राजकीय प्राथमिक एवं आदर्श प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराये गये आगणनी की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु निम्न विवरणानुसार कुल रूपये 1,18,40,000/- (रुपये एक करोड़ अठ्ठासह लाख चालीस हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रूपये 1,18,40,000/- (रुपये एक करोड़ अठ्ठासह लाख चालीस हजार मात्र) को आपके निर्वहन में रखते हुए संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र0सं0	जनपद का नाम	विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	लागत (रु0 लाख में)
1	अल्मोड़ा	राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय देवाल्य	भवन निर्माण	44.08
2	अल्मोड़ा	राजकीय प्राथमिक विद्यालय नैकणा	भवन निर्माण	37.16
3	अल्मोड़ा	राजकीय प्राथमिक विद्यालय बसेडी	भवन निर्माण	37.16
			योग	118.40

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय साल वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूजोगत परियोजना- 01 सामान्य शिक्षा- 201 प्रारम्भिक शिक्षा- 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढीकरण-53-वृहद निर्माण कार्य के नामे खाला जायेगा।
संलग्न- शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीय,
(मोहम्मद गुलफाम अहमद)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पु0सं0/नियोजन(04)/ 15656-62 / बजट (139)/2023-24 उक्तदिनांकित।

प्रतिनिधि-निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग-02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(मोहम्मद गुलफाम अहमद)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

0/c



प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा.शि.)
देहरादून।

पत्रांक-नियोजन(04)/ 1A999-15005 /बजट(139)/2023-24 दिनांक 26, दिसम्बर 2023

विषय- जनपद देहरादून के राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-767/XXIV-A-2/2023-34/2021(E-48394) दिनांक 06 दिसम्बर, 2023 के द्वारा जनपद देहरादून के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक/राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण के चालू निर्माण कार्यों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राविधानित धनराशि में से निम्न विवरणानुसार कुल रुपये 27,06,800/- (रुपये सत्ताईस लाख छः हजार आठ सौ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रुपये 27,06,800/- (रुपये सत्ताईस लाख छः हजार आठ सौ मात्र) को आपके निवर्तन में रखते हुए संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र०सं०	विद्यालय का नाम	कार्य की कुल लागत	पूर्व में अवनुक्त धनराशि (40%)	वर्तमान में अवनुक्त धनराशि (40%)
शासनादेश सं०-764, दिनांक 17.12.2021 द्वारा स्वीकृत कार्य :-				
1	रा०प्रा०वि० रायपुर, देहरादून	31,27,000.00	12,50,800.00	12,50,800.00
शासनादेश सं०-794, दिनांक 14.03.2022 द्वारा स्वीकृत कार्य :-				
2	रा०उ०प्रा०वि० मेहवाला, देहरादून	36,40,000.00	14,56,000.00	14,56,000.00
योग				27,06,800.00

(रुपये सत्ताईस लाख छः हजार आठ सौ मात्र)

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संस्था-11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूजीगत परियोजना- 01 सामान्य शिक्षा- 201 प्रारम्भिक शिक्षा- 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढीकरण-53-बृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगी।

संलग्न- शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

महोदय

(मोहम्मद गुलफाम अहमद)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पत्रांक/नियोजन(04)/ 1A999-15005 /बजट (139)/2023-24 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, बौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, वैज्ञानिक शिक्षा अनुभाग-02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. मार्ड फाइल।

(मोहम्मद गुलफाम अहमद)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।



सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा.शि.)
अल्मोड़ा।

पत्रांक- नियोजन(04)/13856-62 /बजट(139)/2023-24 दिनांक 05 नवम्बर 2023
विषय- जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत रा0प्रा0/उ0प्रा0वि0 के चालू निर्माण कार्यों के सापेक्ष धनवर्तन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-724/XXIV-A-2/2022-82/2019 दिनांक 01 नवम्बर, 2023 के द्वारा जनपद अल्मोड़ा के राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के चालू निर्माण कार्यों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय-व्ययक के 53-वृहद निर्माण कार्य मदान्तर्गत प्राथिधानित धनराशि में से निम्न विद्यालय भवनों के निर्माण कार्यों की कुल स्वीकृत लागत के सापेक्ष अवशेष धनराशि रु0 1874000.00(रुपये अट्ठारह लाख चौहत्तर हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रूपये 1874000.00(रुपये अट्ठारह लाख चौहत्तर हजार मात्र) को आपके निवर्तन में रखते हुए संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र0सं0	विद्यालय का नाम	स्वीकृत धनराशि	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	वर्तमान में अवमुक्त धनराशि
1	रा0प्रा0वि0 कफलकोट, हवालबाग	24.84	19.88	4.96
2	रा0प्रा0वि0 देवडा, भीसियाछाना	13.20	10.58	2.64
3	रा0प्रा0वि0 गघोली, हवालबाग	27.55	22.04	5.51
4	रा0उ0प्रा0वि0 बघाण, लमगडा	28.15	22.52	5.63
योग				18.74

(रुपये अट्ठारह लाख चौहत्तर हजार मात्र)

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यवाही संस्था को भुगतान किया जाए।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर भूजीगत परिव्यय- 01 सामान्य शिक्षा- 201 प्रारम्भिक शिक्षा- 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढीकरण-53-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

संलग्न- शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भुवदीय,
(मोहम्मद गुलफाम अहमद)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पु0सं0/नियोजन(04)/13856-62 /बजट (139)/2023-24 उक्तदिनांकित।
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कोलागड, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग-02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(मोहम्मद गुलफाम अहमद)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।



प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

सेवा में

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्र.शि.)
देहरादून।

पत्रांक-नियोजन(04)/ 13268-7A /बजट(139)/2023-24 दिनांक 25, नवम्बर, 2023
विषय- जनपद देहरादून के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मनीराम मार्ग के भवन पुनर्निर्माण कार्य हेतु धनार्पण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-720/XXIV-A-2/2023-34/2021 बसिक शिक्षा अनुभाग-2 दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 के द्वारा जनपद देहरादून के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मनीराम मार्ग के भवन पुनर्निर्माण कार्य के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय-व्ययक में 53-वृहद निर्माण कार्य मदान्तर्गत प्राविधानित धनराशि में से भवन पुनर्निर्माण कार्य की कुल स्वीकृत लागत के सापेक्ष द्वितीय किस्त (40%) कुल धनराशि 1436000.00 (रुपया चौदह लाख पैंतीस हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि 1436000.00 (रुपया चौदह लाख पैंतीस हजार मात्र) को आपके नियंत्रण में रखते हुए मूल स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश संख्या-794/XXIV-A-2/2021/34/2021 दिनांक 14.03.2022 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यवाही संस्था को भुगतान किया जाए।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय- 01 सामान्य शिक्षा- 201 प्रारम्भिक शिक्षा- 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढीकरण-53-वृहद निर्माण कार्य के नामे आला जायेगा।
संलग्न- शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

(मोहम्मद गुलफाम अहमद)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पू0सं0/नियोजन(04)/ 13268-7A /बजट (139)/2023-24 उक्तदिनांकित।
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बसिक शिक्षा अनुभाग-02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(मोहम्मद गुलफाम अहमद)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

र. म. ०



प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननुरखेडा, देहरादून।

सेवा में

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्र.शि.)
टिहरी गढ़वाल।

पत्रांक-नियोजन(04)/ 11531-37 / बजट(139)/2023-24 दिनांक 12 अक्टूबर, 2023

विषय- जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुर्ननिर्माण कार्यों की स्वीकृति/धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-644/XXIV-A-2/23-11/2022(E-33524) बेलिक शिक्षा अनुनाम-2 दिनांक 04 अक्टूबर, 2023 के द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल के निम्न राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुर्ननिर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराये गये आंगण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में 53-वृहद निर्माण मद में प्राविधानित धनराशि में से भवन पुर्ननिर्माण कार्यों की औचित्यपूर्ण धनराशि रु0 11103000.00 (रुपया एक करोड़ ग्यारह लाख तीन हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रु0 11103000.00 (रुपया एक करोड़ ग्यारह लाख तीन हजार मात्र) को आपके निर्वहन में रखते हुए संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.स.	विद्यालय एवं योजना का नाम	लागत (लाख में)
1	रा0उ0प्रा0वि0 बेलखेड़ी में भवन का पुर्ननिर्माण कार्य	44.17
2	रा0प्रा0वि0 सेमली गिरगांव के नवीन भवन का पुर्ननिर्माण कार्य	33.60
3	रा0प्रा0वि0 पाल्यासोढ़ के नवीन भवन का पुर्ननिर्माण कार्य	33.26
योग		111.03

(रुपया एक करोड़ ग्यारह लाख तीन हजार मात्र)

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय- 01 सामान्य शिक्षा- 201 प्रारम्भिक शिक्षा- 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढीकरण-53-वृहद निर्माण कार्य के नाम से ढाला जायेगा। संलग्न- शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीय,

(मोहम्मद गुलफाम अहमद)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पू0सं0/नियोजन(04)/ 11531-37 / बजट (139)/2023-24 उक्तदिनांकित।

प्रतिनिधि-निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, मौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग-02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(मोहम्मद गुलफाम अहमद)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।



सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा.शि.),
धम्पावत।

पत्रांक-नियोजन(04)/ 11521-27 /बजट(139)/2023-24 दिनांक 12 अक्टूबर, 2023
विषय- जनपद धम्पावत के राजकीय प्राथमिक विद्यालय भजनपुर के भवन पुनर्निर्माण कार्य की स्वीकृति/ धनार्पण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-643/XXIV-A-2/23-22/2023(E-59328) बेसिक शिक्षा अनुभाग-2 दिनांक 04 अक्टूबर, 2023 के द्वारा जनपद धम्पावत के राजकीय प्राथमिक विद्यालय गुरना के भवन पुनर्निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराये गये आंगणन रु0 7450000.00 (रुपये चौहत्तर लाख पचास हजार मात्र) के सापेक्ष प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में 53-वृहद निर्माण मद में प्राविधानित धनराशि में से भवन पुनर्निर्माण कार्य की वर्तमान में धनराशि रु0 4470000.00 (रुपया चबालीस लाख सत्तर हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रु0 4470000.00 (रुपया चबालीस लाख सत्तर हजार मात्र) को आपके निवर्तन में रखते हुए संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय- 01 सामान्य शिक्षा- 201 प्रारम्भिक शिक्षा- 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढीकरण-53-वृहद निर्माण कार्य के नामे अला जायेगा।
संलग्न- शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीय,

(मोहम्मद गुलफाम अहमद)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पू0स0/नियोजन(04)/ 11521-27 /बजट (139)/2023-24 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग-02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, धम्पावत।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, धम्पावत।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(मोहम्मद गुलफाम अहमद)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखंडा, देहरादून।



सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्र.वि.),
देहरादून।

पत्रांक- नियोजन(04)/ 12722-28 / बजट(139)/2023-24 दिनांक 06 अक्टूबर, 2023
विषय- जनपद देहरादून के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-881/XXIV-A-2/2023-41/2021(E-48394) दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 के द्वारा जनपद देहरादून के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण कार्य हेतु प्राधिकारित धनराशि में से निम्न विवरणानुसार कुल स्वीकृत लागत के सापेक्ष कुल धनराशि ₹0 2389800.00 (रुपये तेईस लाख नवासी हजार छः सौ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रुपये 2389800.00 (रुपये तेईस लाख नवासी हजार छः सौ मात्र) को आपके नियंत्रण में रखते हुए संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन ध्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र०सं०	विद्यालय का नाम	कार्य की कुल लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि (40%)	वर्तमान में अवमुक्त धनराशि (40%)
शासनादेश सं०-855, दिनांक 14.03.2022 द्वारा स्वीकृत कार्य :-				
1	रा०प्रा०वि० झांजरा, सहसपुर, देहरादून	2987000.00	1194800.00	1194800.00
2	रा०प्रा०वि० लक्ष्मीपुर, सहसपुर, देहरादून	2987000.00	1194800.00	1194800.00
योग				2389600.00

(रुपये तेईस लाख नवासी हजार छः सौ मात्र)

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए।

इस सम्बन्ध में होने वाला ध्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूजीगत परिधय- 01 सामान्य शिक्षा- 201 प्रारम्भिक शिक्षा- 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढीकरण-53-बृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।
संलग्न- शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीय,

(मोहम्मद गुलफाम अहमद)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पु०सं०/नियोजन(04)/ 12722-28 / बजट (139)/2023-24 उक्तदिनांकित।
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कॉलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग-02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(मोहम्मद गुलफाम अहमद)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रश्न

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखंडा, देहरादून।



सेवा में

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्र.शि.)
उत्तरकाशी।

पत्रांक-नियोजन(04)/ 11159-65 / बजट(139)/2023-24 दिनांक 05/10/23
विषय- जनपद उत्तरकाशी के राजकीय प्राथमिक विद्यालय कम्प्लेक्स, वि०खंड विन्हालीसौंड के भवन नरम्मत कार्य की स्वीकृति/ धनवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-626/XXIV-A-2/23-21/2023(E-57784) बसिक शिक्षा अनुभाग-2 दिनांक 25 सितम्बर, 2023 के द्वारा जनपद उत्तरकाशी के राजकीय प्राथमिक विद्यालय कम्प्लेक्स विन्हालीसौंड के भवन नरम्मत कार्य हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा टी०ए०सी० के परिकल्पनापत्रा उत्पलब्ध कराये गये आगमन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में 53-वृहद निर्माण मद में प्राविधानित धनराशि में से भवन नरम्मत कार्य की औचित्यपूर्ण धनराशि रु० 1495000.00 (रुपया चौहद लाख पंचानबे हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रु० 1495000.00 (रुपया चौहद लाख पंचानबे हजार मात्र) को आपके निवर्तन में रखते हुए संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निवेदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परियोजना- 01 सामान्य शिक्षा- 201 प्रारम्भिक शिक्षा- 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढीकरण-53-वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत डाला जायेगा।

संलग्न- शासनादेश की प्रती एवं (Computer Generated ID)

भवदीय,

(मोहम्मद गुलफाम अहमद)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पु०सं०/नियोजन(04)/ 11159-65 / बजट (139)/2023-24 उक्तादिनांकित।
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदार, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बसिक शिक्षा अनुभाग-02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरकाशी।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(मोहम्मद गुलफाम अहमद)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक :

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननुरखेडा, देहरादून ।



सेवा में

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा.शि.)
बागेश्वर

पत्रांक-नियोजन(04)/10363-69 / वजट(139)/2023-24 दिनांक 20 सितम्बर, 2023
विषय- जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुर्नर्माण/वृहद मरम्मत कार्य की स्वीकृति/घनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-586/XXIV-A-2/23-20/2022(E-41051) बेसिक शिक्षा अनुभाग-2 दिनांक 11 सितम्बर, 2023 के द्वारा जनपद बागेश्वर के निम्न राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुर्नर्माण/वृहद मरम्मत कार्य हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त उपलब्ध कार्य एवं आगमन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में 53-वृहद निर्माण भद में प्राविधानित धनराशि में से भवन पुर्नर्माण/वृहद मरम्मत कार्य की अधिरूपपूर्ण धनराशि रु0 17124000.00 (रुपया एक करोड़ एकहतर लाख चौबीस हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रु0 17124000.00 (रुपया एक करोड़ एकहतर लाख चौबीस हजार मात्र) को आपके नियंत्रण में रखते हुए संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.स.	विद्यालय का नाम	कार्य	लागत (लाख में)
1	रा0प्रा0वि0 सुन्यौडा, कपकोट	वृहद मरम्मत	18.18
2	रा0प्रा0वि0 कुन्नाली, गरुड	वृहद मरम्मत	15.67
3	रा0प्रा0वि0 तल्लाखोला, कपकोट	वृहद मरम्मत	18.85
4	रा0प्रा0वि0 दारसिंग, कपकोट	पुर्नर्माण	29.36
5	रा0प्रा0वि0 उडखुली, गरुड	पुर्नर्माण	29.80
6	रा0प्रा0वि0 परकोटी, गरुड	पुर्नर्माण	29.80
7	रा0प्रा0वि0 शामा, कपकोट	पुर्नर्माण	29.58
योग			171.24

(रुपया एक करोड़ एकहतर लाख चौबीस हजार मात्र)

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही अहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय- 01 सामान्य शिक्षा- 201 प्रारम्भिक शिक्षा- 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढीकरण-53-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

संलग्न- शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

महोदय,
(मोहम्मद गुलफाम अहमद)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/नियोजन(04)/10363-69 / वजट (139)/2023-24 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कोलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग-02 उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, बागेश्वर।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(मोहम्मद गुलफाम अहमद)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।



सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्र.शि.)
देहरादून।

पत्रांक-नियोजन(04)/ 10224-30 /बजट(139)/2023-24 दिनांक 16 सितम्बर, 2023
विषय- जनपद देहरादून के राजकीय प्राथमिक विद्यालय मादसी (पर्यतीय) के भवन पुनर्निर्माण हेतु स्वीकृति/घनावंटन को सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-524/XXIV-A-2/2023-34/2021 बेसिक शिक्षा अनुभाग-2 दिनांक 18 अगस्त, 2023 के द्वारा जनपद देहरादून के राजकीय प्राथमिक विद्यालय मादसी (पर्यतीय) के भवन पुनर्निर्माण कार्य के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय-व्ययक में 53-पूहद निर्माण कार्य मदान्तर्गत प्राविधानित धनराशि में से भवन पुनर्निर्माण कार्य की कुल स्वीकृत लागत के सापेक्ष अयरीय कुल धनराशि 1682000.00 (रुपया सोलह लाख बयासी हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि 1682000.00 (रुपया सोलह लाख बयासी हजार मात्र) को आपके निवर्तन में रखते हुए मूल स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश संख्या-794/XXIV-A-2/2021/34/2021 दिनांक 14.03.2022 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यव किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय- 01 सामान्य शिक्षा- 201 प्रारम्भिक शिक्षा- 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढीकरण-53-पूहद निर्माण कार्य के नामे जाला जायेगा।
संलग्न- शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

(मोहम्मद गुलफान अहमद)

वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पु0सं0/नियोजन(04)/ 10224-30 /बजट (139)/2023-24 उक्तदिनांकित।
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग-02 उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(मोहम्मद गुलफान अहमद)

वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननुरखेडा, देहरादून।



सेवा में

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्र.शि.)
देहरादून।

पत्रांक-नियोजन(04)/ 10076-82- /बजट(139)/2023-24 दिनांक 15 सितम्बर, 2023
विषय- जनपद देहरादून के राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय प्रेमपुरमाफी, वि०ख० सहसपुर के भवन पुनर्निर्माण कार्य की स्वीकृति/ धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-507/XXIV-A-2/23-15/2022(E-36314) बेसिक शिक्षा अनुभाग-2 दिनांक 01 सितम्बर 2023 के द्वारा जनपद देहरादून के राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय प्रेमपुरमाफी, वि०ख० सहसपुर के भवन पुनर्निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा टी०ए०सी० के परीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराये गये आंगणों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में 53-वृहद निर्माण मद में प्राविधानित धनराशि में से भवन पुनर्निर्माण कार्य की औचित्यपूर्ण धनराशि रु० 3573000.00 (रुपया पैलीस लाख तिहत्तर हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रु० 3573000.00 (रुपया पैलीस लाख तिहत्तर हजार मात्र) को आपके निवर्तन में रखते हुए संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आवार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर भूजीगत परिषय- 01 सामान्य शिक्षा- 201 प्रारम्भिक शिक्षा- 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढीकरण-53-वृहद निर्माण कार्य के नामे खाला जायेगा।
संलग्न- शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीय,

(मोहम्मद गुलफाम अहमद)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पु०स०/नियोजन(04)/ 10076-82- /बजट (139)/2023-24 उक्तदिनांकित।
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागड़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग-02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(मोहम्मद गुलफाम अहमद)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।



सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रशि)
रुद्रप्रयाग।

पत्रांक-नियोजन(04)/ 8987-92 /बजट(139)/2023-24 दिनांक 24 अगस्त, 2023

विषय- जनपद रुद्रप्रयाग के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण कार्यों की स्वीकृति/घनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,


उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-518/XXIV-A-2/23-55/2021(E-21284) बसिक जिला अनुभाग-2 दिनांक 18 अगस्त, 2023 के द्वारा जनपद रुद्रप्रयाग के निम्न राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि0 द्वारा टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराये गये आंगणनों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में 53-वृहद निर्माण मद में प्राविधानित धनराशि में से भवन पुनर्निर्माण कार्यों की औचित्यपूर्ण धनराशि रु0 9313000.00 (रुपया तिरानवे लाख तैरह हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रु0 9313000.00 (रुपया तिरानवे लाख तैरह हजार मात्र) को आपके निवर्तन में रखते हुए संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	विकासखण्ड	विद्यालय का नाम	कार्य	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
1	अगस्त्यमुनि	रा0उ0प्रा0वि0 बाडव	भवन पुनर्निर्माण	47.09
2	अगस्त्यमुनि	रा0उ0प्रा0वि0 जलई	भवन पुनर्निर्माण	46.04
योग				93.13

(रु0 तिरानवे लाख तैरह हजार मात्र)


स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय- 01 सामान्य शिक्षा- 201 प्रारम्भिक शिक्षा- 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढीकरण-53-वृहद निर्माण कार्य के तहत डाला जायेगा।
संलग्न- शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)


(मोहम्मद गुलफाम अहमद)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पु0सं0/नियोजन(04)/ 8987-92 /बजट (139)/2023-24 उपरदिनांकित।
प्रतिनिधि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कोलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बसिक शिक्षा अनुभाग-02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, रुद्रप्रयाग।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।


(मोहम्मद गुलफाम अहमद)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननुरखेड़ा, देहरादून।



सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रारंभिक)
अल्मोड़ा।

पत्रांक- नियोजन(04)/ 8904-10 /बजट(139)/2023-24 दिनांक 24 अगस्त, 2023

विषय- जनपद अल्मोड़ा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय, तल्ला बिनीला के भवन पुनर्निर्माण कार्य हेतु धनार्बन्धन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-518/XXIV-A-2/23-41/2021 बेसिक शिक्षा अनुभाग-2 दिनांक 11 अगस्त, 2023 के द्वारा जनपद अल्मोड़ा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय तल्ला बिनीला के भवन पुनर्निर्माण कार्य के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय-व्ययक में 53-वृहद निर्माण कार्य मदान्तर्गत प्राविधानित धनराशि में से भवन पुनर्निर्माण कार्य की कुल स्वीकृत लागत के सापेक्ष अवशेष कुल धनराशि 2197200.00 (रुपया इक्कीस लाख सत्तानवे हजार दो सौ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि 2197200.00 (रुपया इक्कीस लाख सत्तानवे हजार दो सौ मात्र) को आपके निर्वर्तन में रखते हुए संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अर्धीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिष्वय- 01 सामान्य शिक्षा- 201 प्रारम्भिक शिक्षा- 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढीकरण-53-वृहद निर्माण कार्य के नामे उला जायेगा।
संलग्न- शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीय,
मोहम्मद गुलफाम अहमद
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पू0स0/नियोजन(04)/ 8904-10 /बजट (139)/2023-24 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदार, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग-02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

मोहम्मद गुलफाम अहमद
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा.शि.)
ऊधमसिंह नगर।

पत्रांक-नियोजन(04)/ 7505-11 / बजट(139)/2023-24

दिनांक 02 अगस्त, 2023

विषय-

जनपद ऊधमसिंह नगर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गूलरमोज, गदरपुर के भवन मरम्मत कार्य हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-409/XXIV-A-2/2023-92/2019(E-22744) दिनांक 27 जूलाई, 2023 के द्वारा जनपद जनपद ऊधमसिंह नगर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गूलरमोज, गदरपुर के भवन मरम्मत कार्य के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय-व्ययक में 53-वृहद निर्माण कार्य मदान्तर्गत प्राविधानित धनराशि में से भवन मरम्मत कार्य की कुल स्वीकृत लागत के सापेक्ष अवशेष कुल धनराशि 947000.00 (रु० नौ लाख सैतालीस हजार मात्र) में से रु० 500000.00(रु० पांच लाख मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रु० 500000.00(रु० पांच लाख मात्र) को आपको निवर्तन में रखते हुए संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी सस्था को भुगतान किया जाए।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय- 01 सामान्य शिक्षा- 201 प्रारम्भिक शिक्षा- 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढीकरण-53-वृहद निर्माण कार्य के नामे, डाला जायेगा। संलग्न- शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीय,

(मोहम्मद गुलफाम अहमद)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पु०स०/नियोजन(04)/ 7505-11 / बजट (139)/2023-24 उपरदिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग-02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(मोहम्मद गुलफाम अहमद)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।



सेवा में

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा.शि.)
नैनीताल।

पत्रांक- नियोजन(04)/ 6508-14 / बजट(139)/2023-24 दिनांक 12, जुलाई, 2023
विषय- वित्तीय वर्ष 2023-24 में जनपद नैनीताल के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण कार्य हेतु धनार्हण के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-400/XXIV-A-2/2023-28/2021(E-58109) दिनांक 06 जुलाई, 2023 के द्वारा जनपद नैनीताल के विभिन्न राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण कार्य के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय-व्ययक में 53-ग्रहद निर्माण कार्य मदान्तर्गत प्रविधानित धनराशि में से निम्न विवरणानुसार कुल स्वीकृत लागत के सापेक्ष अवशेष कुल धनराशि रु 858600.00(रुपये छः लाख छप्पन हजार छः सौ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रुपये 858600.00(रुपये छः लाख छप्पन हजार छः सौ मात्र) को आपके नियंत्रण में रखते हुए संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.सं०	विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत धनराशि	पूर्व में अबमुक्त धनराशि	वर्तमान में उपमुक्त की जा रही धनराशि
शासनादेश सं०-539, दिनांक 17.09.2021 एवं सं०-406, दिनांक 22.09.2022 द्वारा स्वीकृत फण -					
1	राजप्राथमिक हरिनुर गांगू, हल्द्वानी	एक अतिरिक्त कक्षा-कक्ष	8.37	6.696	1.674
2	राजप्राथमिक हरकपुर खीरा, हल्द्वानी	एक अतिरिक्त कक्षा-कक्ष	12.23	9.784	2.446
3	राजप्राथमिक रामणी आन सिंह, हल्द्वानी	एक अतिरिक्त कक्षा-कक्ष	12.23	9.784	2.446
योग			32.83	26.264	6.568

(रुपये छः लाख छप्पन हजार छः सौ मात्र)

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबाधित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यवाही संस्था को मुग्तान किया जाए।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परियोजना- 01 सामान्य शिक्षा- 201 प्रारम्भिक शिक्षा- 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढीकरण-53-ग्रहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
संलग्न- शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीय,

(मोहम्मद गुलफान अहमद)
जिला नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पु०सं०/नियोजन(04)/ /बजट (139)/2023-24 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूधमार्ध एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महासेखाकार, लेखा एवं हकदार, कोलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग-02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, नैनीताल।
5. जिला अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(मोहम्मद गुलफान अहमद)
जिला नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

सेवा में,
जिला शिक्षा अधिकारी, (प्र.शि.)
उत्तरकाशी।

पत्रांक-नियोजन(04)/ 6357-62 /बजट(139)/2023-24 दिनांक 11 जुलाई, 2023
विषय- वित्तीय वर्ष 2023-24 में जनपद उत्तरकाशी राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के
बाहर दीवारी निर्माण कार्यों हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,
उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-392/XKIV-A-2/2023-05/2020(E-55425) दिनांक 03
जुलाई, 2023 के द्वारा जनपद उत्तरकाशी के राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बाहर दीवारी
निर्माण कार्यों हेतु प्रारम्भिक शिक्षा के आय-व्ययक में 53-वृहद निर्माण कार्य मदान्तर्गत प्राविधानित धनराशि
में से निम्न विवरणानुसार विद्यालयों के बाहर दीवारी निर्माण कार्यों की कुल स्वीकृत लागत के सापेक्ष रूपये
300200.00 (रुपये तीन लाख दो सौ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रूपये 300200.
00 (रुपये तीन लाख दो सौ मात्र) को आपके निवर्तन में रखते हुए संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों
एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र०स०	विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत धनराशि	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	वर्तमान में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	रा०उ०प्रा०कि० कौसला	बाहर दीवारी निर्माण कार्य	701000.00	560800.00	140200.00
2	रा०प्रा०वि० कौसला	बाहर दीवारी निर्माण कार्य	800000.00	640000.00	160000.00
योग					300200.00

(रुपये तीन लाख दो सौ मात्र)

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर
सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय धालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत
लेखा शीर्षक-4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय- 01 सामान्य शिक्षा- 201 प्रारम्भिक
शिक्षा- 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढीकरण-53-वृहद निर्माण कार्य के नामे हलाता जायेगा।
संलग्न- शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीय,
(मोहम्मद गुलफाम अहमद)
वित्त नियंत्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पू०स०/नियोजन(04)/ 6357-62 /बजट (139)/2023-24 उक्तदिनांकित।
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुनाग-02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरकाशी।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(मोहम्मद गुलफाम अहमद)
वित्त नियंत्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

धर



प्रेषक निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखंडा, देहरादून।

सेवा में,
जिला शिक्षा अधिकारी, (प्र.शि.),
पौड़ी गढ़वाल।

पत्रांक-नियोजन(04)/5249-55 / बजट(139)/2023-24 दिनांक 23 जून 2023
विषय- वित्तीय वर्ष 2023-24 में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विभिन्न राजकीय प्राथमिक/उच्च
महोदय, प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण कार्यों की स्वीकृति/घनावंटन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-355/XXIV-A-2/2023-01/2023(E-49107) दिनांक 14 जून 2023 के द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल के राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण कार्यों हेतु प्रारम्भिक शिक्षा के आय-व्ययक में 53-वृहद निर्माण कार्य मदान्तर्गत प्राधिघानित धनराशि में से निम्न विद्यालयों के भवन निर्माण कार्यों की कुल स्वीकृत लागत के सापेक्ष रूपमें 1,19,34,000.00 (रुपये एक करोड़ उन्नीस लाख चौतीस हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रूपमें 1,19,34,000.00 (रुपये एक करोड़ उन्नीस लाख चौतीस हजार मात्र) को आपके निवर्तन में रखते हुए संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र० सं०	विकासक लम्बा	विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	कार्यदायी संख्या	कार्य की अधिकतम लागत	अनुमत की जा रही धनराशि
1	पार्सी	रा.उ.प्रा.वि. डुंगरीखाल	भवन नए निर्माण कार्य		76.74	46.74
2	पार्सी	रा.उ.प्रा.वि. फलदवाड़ी	भवन मरम्मत/अनुक्षण व अतिरिक्त ऊष्ण-संरक्ष कार्य	ग्रामीण निर्माण विभाग	42.26	42.26
3	हिन्दू	रा.प्रा.वि. एवं रा.उ.प्रा.वि. डांग	भवन मरम्मत/अनुक्षण कार्य		30.34	30.34
योग					119.34	119.34

(धनराशि लाख में)

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संख्या को भुगतान किया जाए।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय- 01 सामान्य शिक्षा- 201 प्रारम्भिक शिक्षा- 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढीकरण-53-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
संलग्न- शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीय,
(मोहम्मद मुलफान अहमद)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0स0/नियोजन(04)/5249-55 / बजट (139)/2023-24 उक्तदिनांकित।
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनाय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदार, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग-02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(मोहम्मद मुलफान अहमद)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।